



दक्षिण रेलवे / SOUTHERN RAILWAY

मुख्य कार्यालय / Headquarters Office,  
कार्मिक शाखा / Personnel Branch,  
चेन्नई / Chennai-600003  
दिनांक/Dated: 06.07.2021

सं/No: P(R)MC 18


का.शा.परिपत्र PBC No.109 /2021

All PHODs / DRMs / CWMs / CEWE / CAO / CPM / Dy.CPOs / Sr.DPOs/  
DPOs / SPOs / WPOs / APOs of HQ / Divisions / Workshops / Other units etc  
(As per mailing list – "A")

विषय /Sub: M.C – 18 – Provision of schools for children of  
Railway employees.(Updated)

\*\*\*

A copy of Railway Board letter No.E(W)2019/SC-2/3 dated 22.01.2021  
along with updated Master Circular-18 on the above subject is enclosed for  
information, guidance and necessary action.

  
(मीना भास्करन Meena Baskaran)  
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी /भर्ती व कल्याण  
Deputy Chief Personnel Officer/R&W  
प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी /  
for Principal Chief Personnel Officer

Copy to: The General Secretary/SRMU  
The General Secretary/AISCTREA  
The General Secretary/AIOBCREA  
The General Secretary/NFIR  
ChOS/System to upload in website.



सत्यमेव जयते

**GOVERNMENT OF INDIA भारत सरकार**  
**MINISTRY OF RAILWAYS रेल मंत्रालय**  
**RAILWAY BOARD रेलवे बोर्ड**

**रेल कर्मचारियों के बच्चों के लिए विद्यालयों की व्यवस्था**  
**पर**

**मास्टर परिपत्र संख्या 18**  
**(फरवरी 2021 को अपडेटेड)**

**Master Circular No.18**  
**(Updated in February 2021)**

**Master Circular**  
**on**  
**Provision of Schools**  
**for**  
**Children of Railway Employees**

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं. ई (डब्ल्यू) 2019/एस सी-2/3

नई दिल्ली, दिनांक 22.01.2021

महाप्रबंधक,  
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ

**विषय : रेल सेवकों के बच्चों के लिए रेलवे कॉलोनियों में विद्यालयों का प्रावधान।**

बोर्ड का दिनांक 21.12.1990 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू) 90/एस सी-2/मास्टर परिपत्र एवं दिनांक 31.05.2001 का पत्र सं. ई (डब्ल्यू) 2000/एस सी 2/एम सी/18 देखें। तब से इस विषय पर मुख्य मास्टर परिपत्र के अनुपूरक परिपत्रों के रूप में कई अनुदेश जारी किए जा चुके हैं। रेल मंत्रालय द्वारा अब यह विनिश्चय किया गया है कि इन अनुदेशों को समेकित किया जाए और सभी संबंधित की सूचना एवं मार्गदर्शन के लिए, नीचे दिए गए अनुसार मास्टर परिपत्र का संशोधित एवं अद्यतन संस्करण जारी किया जाए।

## 2. रेल विद्यालय

2.1 पिछली शताब्दी में रेलों पर बहुत ही बड़ी संख्या में यूरोपियन और एंग्लो-इंडियन कर्मचारी थे और वे उन स्थानों पर भी तैनात रहते थे जहाँ कोई यूरोपियन स्कूल नहीं होता था इसलिए उनके बच्चों की शिक्षा संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए रेलों पर शिक्षा सुविधाएँ प्रारंभ की गई थी। इसे ध्यान में रखते हुए, बड़े रेल संस्थापनाओं में रेलवे स्कूल स्थापित किए गए। कुछ रेलों ने यूरोपीय परिस्थितियों में शिक्षा प्रदान करने के लिए हिल स्टेशनों पर बोर्डिंग स्कूलों की स्थापना की। अन्य रेलों ने ट्यूशन फ़ीस के एक भाग के भुगतान की वचनबद्धता देते हुए अपने कर्मचारियों की सहायता की। इस प्रकार यूरोपीय लोगों को दी जाने वाली शैक्षिक सुविधाएँ बाद में एंग्लो-इंडियन को भी प्रदान की जाने लगी और जब रेल सेवाओं में शिक्षित भारतीयों की संख्या बढ़ने लगी, तब रेलों ने भारतीय रेल सेवकों के बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएँ उन स्थानों पर भी प्रदान करनी शुरू कर दी जहाँ पर्याप्त व्यवस्थाएँ मौजूद नहीं थी।

2.2 अनुच्छेद 256 - सूची-III/समवर्ती सूची (7वीं अनुसूची) की मद 25 के तहत, शैक्षिक सुविधाओं का प्रावधान मुख्य रूप से राज्य सरकार/मानव संसाधन विकास मंत्रालय (जिसका नया नाम शिक्षा मंत्रालय है) की ज़िम्मेदारी है। हालाँकि, रेलों ने सीमित उपलब्ध संसाधनों के होते हुए केवल कर्मचारियों के कल्याण हेतु रेल सेवकों के बच्चों/आश्रितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, केवल उन स्थानों पर शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान की जहाँ रेल सेवकों की अधिकता है और जहाँ अन्य एजेंसियों - केंद्र/राज्य और प्राइवेट - द्वारा प्रदान की जा रही शैक्षिक सुविधाएँ अपर्याप्त पाई गई हैं अथवा पूर्ण रूप से ही उपलब्ध नहीं हैं जिसके कारण उन्हें कठिनाई अथवा असुविधा हो रही है।

2.3 आम तौर पर, रेलों द्वारा प्रदान की जाने वाली शैक्षिक सुविधाएँ प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च/उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं तक ही सीमित होती हैं। रेलवे सामान्यतः अपनी मौजूदा नीति के तहत दूरगामी प्रशासनिक एवं वित्तीय निहितार्थों को देखते हुए महाविद्यालय (कॉलेज) और तकनीकी शिक्षा का संचालन नहीं करती।

### 3 रेलवे कॉलोनियों में चल रहे विद्यालय

हमारे सिस्टम में कई रेल शैक्षिक संस्थान चल रहे हैं जिनमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय, मिडिल, प्राथमिक, एटीपी विद्यालय और एक डिग्री कॉलेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, रेल सेवकों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेलवे की भूमि पर केंद्रीय विद्यालय (सिविल एवं परियोजना क्षेत्र दोनों) और कई निजी विद्यालय भी चल रहे हैं।

3.1 यह दोहराया जाता है कि शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान करना मुख्य रूप से राज्य सरकार/केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ज़िम्मेदारी है। हालाँकि ऐसा विगत में कहा जा सकता है कि रेल सेवकों को इस बारे में कठिनाइयाँ होती थीं लेकिन समय के साथ-साथ विभिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न एजेंसियों, सरकारी और प्राइवेट द्वारा पर्याप्त एवं व्यापक शैक्षिक सुविधाएँ प्रदान किए जाने से विद्यालयों की विभिन्न स्तरों/कक्षाओं तक विस्तार/अपग्रेडेशन करने की मांग काफी कम हो जाती है और अंततः इनकी आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। अतः रेल सेवक मौजूदा शैक्षिक सुविधाओं का लाभ उठाएँ जो राज्य सरकार आदि द्वारा आम जनता के लिए प्रदान की गई हैं। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, बोर्ड ने नीतिगत विषय के रूप में रेलवे कॉलोनियों में, प्राथमिक रूप से "सिविल क्षेत्रों" में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है जिससे कर्मचारियों की आवश्यकताएँ पूरी करने के साथ-साथ विद्यालय प्रबंधन पर हमारा वित्तीय भार भी कम हो जाएगा।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.9.1988 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)83/एससी-2/27)

3.2 विभिन्न स्थानों जहाँ रेल सेवकों की अधिकता है, पर मौजूदा सुविधाओं, निधियों की तंगी, लाइव पदों को अभ्यर्पित (मैचिंग सरेण्डर) किए बिना पदों के सृजन/अपग्रेडेशन पर लगाए गए प्रतिबंध और प्रशासनिक व्यय आदि में कड़ाईपूर्वक कफ़ायत करने की अत्यावश्यकता को ध्यान में रखते हुए बोर्ड यह वांछा करता है कि संबंधित रेल प्रशासनों द्वारा मितव्ययी प्रकार के प्राथमिक विद्यालयों की गुण-दोष के आधार पर समीक्षा की जाए और ऐसे विद्यालयों को बंद करने, उनका एकीकरण अथवा कन्वर्जन करने की व्यवहार्यता की जाँच की जाए और चरणबद्ध कार्यक्रम की रूप रेखा तैयार की जाए। गैर-रेल विद्यालयों और केंद्रीय विद्यालयों को खोलने/विस्तार करने पर इसी प्रकार का अध्ययन/समीक्षा अन्य विद्यालयों जैसे प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालय के संबंध में भी की जाए और केंद्रीय विद्यालयों एवं अन्य गैर रेल विद्यालयों का विस्तार करते हुए मौजूदा रेल विद्यालयों को उत्तरोत्तर बंद करने के लिए प्रयास किए जाएं।

3.3 इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, रेल प्रशासनों द्वारा रेल विद्यालयों के अपग्रेडेशन/विस्तार, नए सेक्शन/कक्षाओं/विषयों आदि की शुरुआत करने संबंधी उनके प्रस्ताव निर्धारित प्रोफार्मा में रेलवे बोर्ड को अवेजित करते समय निम्नलिखित पहलुओं को ध्यान में रखा जाए :-

(i) रेल प्रशासन द्वारा बोर्ड के पूर्वानुमोदन के बिना की गई कार्रवाई को विनियमित करने के लिए कार्यान्तर् मंजूरी नहीं दी जाएगी और इसके परिणामस्वरूप रेल प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई को उलटा जा सकता है तथा बोर्ड के आदेशों की अवमानना के लिए संबंधित अधिकारियों की ज़िम्मेदारी तय की जा सकती है;

(ii) नए रेल विद्यालय खोलने के लिए रेलवे बोर्ड को कोई प्रस्ताव न भेजा जाए;

(iii) जहाँ रेल विद्यालय हैं, वहाँ संबंधित राज्य सरकार से सहायता अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी रखे जाएं;

(iv) रेल विद्यालयों के विस्तार/अपग्रेडेशन आदि के प्रस्ताव रेलवे बोर्ड के विचारार्थ मितव्ययीता को ध्यान में रखकर और अपरिहार्य होने पर ही भेजे जाने चाहिए और यह विद्यमान स्कूली सुविधाओं को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तरह औचित्यपूर्ण

होने चाहिए और साथ ही रेल प्रशासन प्रस्ताव में उल्लिखित अध्यापन और गैर-अध्यापन कर्मचारियों के पदों की लागत के समान कार्यरत पदों को अभ्यर्पित करने में सक्षम होना चाहिए।

(v) रेलवे कॉलोनिजों में केंद्रीय विद्यालयों के खुलने पर, संबंधित रेल प्रशासन ए टी पी विद्यालयों, यदि कोई पहले से ही स्टेशनों पर चल रहे हों, को बंद करने के लिए तत्काल कदम उठाए। केंद्रीय विद्यालयों के विस्तार के साथ उच्च कक्षाओं/विद्यालयों को बंद करने के लिए प्रगामी कदम उठाए जाएं।

3.4 नए सेक्शन/कक्षाएं खोलने, नए विषयों की शुरुआत करने, स्कूलों के अपग्रेडेशन आदि से संबंधित प्रस्ताव (सभी नियोजित आवर्तों एवं अनावर्तों व्यय के विस्तृत अनुमान सहित), वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से जांच कराकर निर्धारित प्रोफॉर्मा में प्रत्येक वर्ष दिसंबर तक अवश्य भेज दिए जाएं ताकि बोर्ड उन पर मेरिट के आधार पर विचार कर सके और व्यावहारिक पाए जाने पर शैक्षिक सत्र आरंभ होने से पहले अपना अनुमोदन प्रदान कर सके।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 13.9.1988 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)83/एससी-2/27)

#### 4. सामान्य

4.1 विभिन्न रेलवे कॉलोनिजों में चल रहे रेलवे के विद्यालय संबंधित राज्य सरकार के शिक्षा बोर्ड/विभाग अथवा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, नई दिल्ली द्वारा मान्यताप्राप्त होने चाहिए।

4.2 रेलवे प्रशासनों को रेल विद्यालयों में पढ़ाए गए माध्यम के मामले में राज्य सरकारों के आदेशों में किए गए अनिवार्यता के प्रावधानों का पालन करना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, यदि भाषा शिक्षकों की नियुक्ति करना आवश्यक हो जाता है तो ऐसा सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से किया जा सकता है, यदि राज्य सरकारों ने भी उनके द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में ऐसा किया है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 11.2.1956 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)49/ईडी-3/8)

4.3 बाहरी व्यक्तियों के बच्चों को तभी दाखिला दिया जाए यदि रेल सेवकों के सभी बच्चों और आश्रितों को दाखिला दे दिए जाने के बाद अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध हो।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.01.1960 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)59/ईडी 1/49)

4.4 जहाँ कहीं भी राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विद्यालयों में निचली कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही हो तो उन क्षेत्रों में चल रहे रेल विद्यालयों में भी निचली कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा दी जाए। वे, सहायता प्राप्त विद्यालयों में फीस में हुए नुकसान को पूरा करने के लिए निर्धारित किए गए पैमाने के अनुसार उपयुक्त सहायता-अनुदान के माध्यम से फीस में हुए अपने नुकसान को पूरा करने के लिए सहायता-अनुदान हेतु राज्य सरकार से संपर्क करें।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.02.1960 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)60/ईडी 1/7)

4.5 सभी रेल विद्यालयों में, दिन की शुरुआत राष्ट्रीय गान के सामूहिक गायन से होनी चाहिए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.09.1963 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)63/ईडी 1/33)

4.6 रेल विद्यालयों में, विशेषतः प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों आदि में स्काउट एवं गाइड गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जाए ताकि निःस्वार्थ सेवा, आत्म-अनुशासन आदि भावनाओं को बच्चों में अंतर्निविष्ट किया जा सके जो आगे

चरित्र निर्माण में सहायक होंगी। इस संबंध में यदि किसी प्रकार की भी सहायता एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो विभिन्न स्तरों पर चल रहे रेलवे के स्काउट एवं गाइड संगठनों से मांगी जा सकती है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 19.09.1988 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)84/एस सी 2/10)

4.7 (i) रेल सेवकों के बच्चों को, रेल भर्ती बोर्डों द्वारा गैर-तकनीकी प्रचलित कोटियों/तकनीकी कोटियों जैसे कार्यालय लिपिक, वाणिज्यिक लिपिक, सहायक स्टेशन मास्टर, गाई आदि की भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के पाठ्यक्रम की कोचिंग रेल विद्यालयों में, जहाँ अपेक्षित मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं वहाँ विद्यालय के अकार्य घंटों में अर्थात् प्रातः या सांयकाल में अथवा छुट्टियों में विशिष्ट अवधि के लिए, प्रदान की जा सकती है ;

(ii) कोचिंग कक्षाओं में दाखिला रेलवे/गैर- रेल विद्यालयों में मैट्रिक अथवा उच्चतर कक्षाओं में पढ़ने वाले रेल सेवकों के बच्चों के लिए ही सीमित होगा;

(iii) आरंभ में उन विषयों की कोचिंग दी जाए जो रेल भर्ती बोर्डों द्वारा गैर तकनीकी प्रचलित कोटियों के लिए आयोजित परीक्षाओं के लिए निर्धारित हैं;

(iv) केवल ज़रूरतमंद एवं महत्वाकांक्षी छात्रों के लिए ही दाखिला सीमित किए जाने की दृष्टि से कोचिंग कक्षाओं में आने वाले छात्रों से उचित न्यूनतम दृश्यन फ़ीस ली जा सकती है;

(v) वे रेल सेवक, जिन्हें अध्यापन में अनुभव एवं दक्षता प्राप्त है और रेल भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में निर्धारित विषयों तथा पूछे जाने वाले प्रश्नों की क्रिस्मों का व्यापक ज्ञान है और उनसे सुपरिचित हैं, उन्हें इस कार्य के लिए नियुक्त किया जा सकता है और उपरोक्त (iv) के तहत एकत्रित राशि एवं कर्मचारी हित निधि से उपयुक्त मानदेय का भुगतान किया जाए, जैसा भी उनके वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से रेल प्रशासन द्वारा निर्धारित किया जाए।

(vi) कोचिंग योजनाओं संबंधी ब्यौरे वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी के परामर्श से मुख्य कार्मिक अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएं और उन्हें कुछ चयनित केंद्रों जैसे क्षेत्रीय/मंडल रेल मुख्यालयों पर प्रायोगिक आधार पर लागू किए जाएं। बहरहाल, उक्त कार्रवाई प्रत्येक मंडल में एक उच्च/उच्च माध्यमिक विद्यालय/इंटर कॉलेज में तुरंत शुरू की जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.04.1987 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)83/एस सी 2/24)

4.8 जहाँ भी संभव हो, रेलवे के उच्चतर माध्यमिक, उच्च एवं माध्यमिक विद्यालयों में हॉबी के रूप में आर्ट्स एवं क्राफ़्ट्स में प्रशिक्षण शुरू किया जाए। यदि इसमें अतिरिक्त व्यय शामिल है तो, वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी की सहमति से प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजे जाएं।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 05.09.1961 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)61/एस सी-2/50)

4.9 रेल विद्यालय कोई "उद्योग" नहीं है। अतः यह रेलों पर मौजूदा ट्रेड यूनियनों के दायरे से बाहर रहेंगे। हालाँकि, अध्यापकों द्वारा स्वयं बनाए गए शिक्षक संघों पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 04.01.1966 का पत्र सं. ई(एल डब्ल्यू ए)65 ए टी/आई डी/1-6)

4.10 रेल विद्यालय के अध्यापकों को व्यक्तिगत रूप से अपनी शिकायतें वरिष्ठ डी पी ओ/एस पी ओ, जो सामान्यतः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की क्षमता से विद्यालयों के सुचारु संचालन के लिए उत्तरदायी पदाधिकारी होते हैं, के समक्ष रखने की

अनुमति होगी। अध्यापकों को अपनी शिकायतें कार्मिक विभाग के अधिकारियों के साथ, जो विद्यालय के काम-काज के लिए उत्तरदायी होते हैं, पूर्वानुमति लेकर उनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत करने की अनुमति होगी। इन अध्यापकों द्वारा जब भी इस प्रकार की शिकायतें उठाई जाएं तो, प्रशासन द्वारा उनकी पूर्ण रूप से जाँच की जाए और उन शिकायतों को दूर करने के लिए नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 06.02.1984 का पत्र सं. ई(एल आर)82 यू टी पी/2)

#### 5. शिक्षण स्टाफ के वेतनमान:

5.1 सहायक प्रधानाध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापिका/उप प्रधानाचार्य का कोई पृथक रूप से पद सृजित न किया जाए। जहाँ आवश्यक समझा जाए, उच्च माध्यमिक विद्यालय में वेतनमान 6500-10500/- रुपए (आर एस आर पी) चयन ग्रेड में कार्यरत वरिष्ठतम स्नातकोत्तर अध्यापक/उच्च विद्यालय में वेतनमान 5500-9000/- रुपए (आर एस आर पी) चयन ग्रेड में कार्यरत वरिष्ठतम स्नातक अध्यापक का शिक्षण-भार घटा कर उसे सहायक प्रधानाध्यापक/सहायक प्रधानाध्यापिका/उप प्रधानाचार्य के रूप में कार्य दिया जाए।

(रेलवे बोर्ड का दि. 04.05.1963 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)62/एस सी-2/44 एवं दि. 23.10.1988 का पत्र सं पीसी-V98/III/26)

5.2 बहरहाल, ऐसे 1000 या उससे अधिक छात्रों वाले उच्च माध्यमिक विद्यालयों/इंटर कॉलेजों में 7500-12000/- रु (आर एस आर पी)/8000-13500/- रु. (आर एस आर पी) के वेतनमान में कार्यरत, जैसा भी मामला हो, वरिष्ठतम स्नातकोत्तर अध्यापक का शिक्षण-भार घटा कर उसे उप प्रधानाचार्य के रूप में पदनामित किया जाए एवं कार्य दिया जाए। यदि आवश्यक हो, तो चयनित उपयुक्त स्नातकोत्तर अध्यापकों को उन स्थानों पर स्थानांतरित किया जाए जहाँ उनकी आवश्यकता है और यदि वे वहाँ तुरंत उपलब्ध नहीं हैं।

(रेलवे बोर्ड का दि. 28.11.1988 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)83/एस सी-2/18 और दि. 23.10.1998 का पत्र सं पीसी-V98/III/26)

5.3 छठवें वेतन आयोग द्वारा शिक्षण स्टाफ को दिए वेतनमान रेलवे बोर्ड के दिनांक 22.9.2008 और 17.07.2009 के पत्र संख्या पीसी-6/2008/आई/आरएसआरपी द्वारा जारी किए गए हैं। शिक्षण स्टाफ को दिए वेतनमान निम्नलिखित हैं:

प्राइमरी स्कूल शिक्षक*				
सेलेक्शन ग्रेड	6500-10500	पीबी-2	9300-34800	4800
वरिष्ठ ग्रेड	5500-9000	पीबी-2	9300-34800	4600
बेसिक ग्रेड	4500-7000	पीबी-2	9300-34800	4200
प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक*				
सेलेक्शन ग्रेड *	7500-12000	पीबी -3	9300-34800	5400
वरिष्ठ ग्रेड	6500-10500	पीबी -2	9300-34800	4800
बेसिक ग्रेड	5500-9000	पीबी -2	9300-34800	4600
स्नातकोत्तर शिक्षक*				
सेलेक्शन ग्रेड	8000-13500	पीबी -3	15600-39100	6600
वरिष्ठ ग्रेड	7500-12000	पीबी -3	15600-39100	5400
बेसिक ग्रेड	6500-10500	पीबी -2	9300-34800	4800

\* i) ये कोटियाँ अपना वर्तमान वर्गीकरण ग्रुप "सी" ही रखेंगी।

ii) रेसीडेंसी अवधियथावत् रहेगी।

# 17.07.2009 (आरबीई सं. 131/09) के पत्र द्वारा संशोधित

5.4 रेल विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों के वेतनमानों के संबंध में 7वें वेतन आयोग द्वारा विशेष रूप से कोई सिफारिश नहीं की गई है इसलिए शिक्षण कर्मचारियों के लिए केवल पे-मेट्रिक्स में प्रतिस्थापित वेतनमान ही लागू होगा।

5.5 रेल विद्यालय के राज्य सरकार को स्थानांतरित हो रहे प्रत्येक मामले की जांच, मेरिट के आधार पर की जाए। जहाँ ऐसा किया जा सकता हो, वहाँ रेल प्रशासन न्यूनतम लाइसेंस फीस पर स्कूल बिल्डिंग को लाइसेंस देने के लिए और निःशुल्क फर्नीचर देने के लिए सहमत हो सकती है ताकि इसे राज्य सरकार को स्कूल को अधिकार में लेने के लिए आकर्षक बनाया जा सके। किसी भी स्थिति में किसी भी रेल विद्यालय को राज्य सरकार को सौंपने से पूर्व रेलवे बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त किया जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 17.03.1962 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)61/ई डी 1/6)

5.6 रेल विद्यालयों में निरीक्षण करवाने का मुख्य उद्देश्य उनके दिन-प्रतिदिन के प्रशासन को सरल एवं कारगर बनाना तथा शिक्षा के स्तर में आवश्यक सुधार करना है। निरीक्षक अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत निरीक्षण रिपोर्टों पर कठोर अनुवर्ती कार्रवाई की जाए और जब भी कमियों की ओर ध्यान दिलाया जाए तो उन्हें जल्द से जल्द सुधारा जाए। मुख्य कार्मिक अधिकारी इसमें व्यक्तिगत रूप से रुचि लें और यह सुनिश्चित करें कि जहाँ भी सुधार करने की आवश्यकता है, वहाँ सुधार किए जाएं ताकि रेल विद्यालयों के स्तर को सुधारा जा सके। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि रेल विद्यालयों का नियमित रूप से राज्य सरकार के निरीक्षकों द्वारा निरीक्षण किया जाए और उनकी सिफारिशों को जहाँ तक संभव हो, लागू किया जाए। इस संबंध में, शैक्षिक सलाहकारों की सिफारिशों की ओर भी ध्यान आकृष्ट किया जाता है जिन्हें बोर्ड के दिनांक 21.09.1959 के पत्र सं. ई(डब्ल्यू)58/ई डी 1/9 के साथ भेजा गया था।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.02.1966 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)65/एस सी2/54)

5.7 रेल विद्यालयों में कक्षाओं के स्वरूप में किसी भी परिवर्तन जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ाना अथवा समाप्त करना, घटाना, विद्यालयों का अपग्रेडेशन अथवा डाउनग्रेडेशन आदि की रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को ऐसे परिवर्तनों की आवश्यकता संबंधी कारणों के साथ सूचनार्थ भेजी जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 31.10.1966 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)66/एस सी-2/8)

5.8 झारीपानी स्थित ओक गोब स्कूल सहित रेल विद्यालयों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदायों को दाखिला देने के संबंध में छूट:

5.9 (1) रेलवे बोर्ड द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के समुदायों के छात्रों को रेल विद्यालयों में दाखिला देने के लिए निम्नलिखित छूट अनुमेष्य होगी :

(क) अ.जा. के लिए 15% और अ.ज.जा. के लिए 7.5% का अलग-अलग आरक्षण ;

(ख) जहाँ दाखिला प्राप्त किए गए अंकों के प्रतिशत के संदर्भ में किया जाता है वहाँ अ.जा. एवं अ.ज.जा. के मामलों में अंकों में 1% की कमी अनुमेष्य हो सकती है बशर्ते कि निम्नतर प्रतिशत अर्हक परीक्षा पास करने हेतु अपेक्षित न्यूनतम अंकों से कम न हो;

(ग) अ.जा./अ.ज.जा. के लिए अधिकतम आयु सीमा 3 वर्ष बढ़ाई जाए;

(घ) अ.जा./अ.ज.जा. से संबंधित कर्मचारी के बच्चों/आश्रितों को प्राथमिक कक्षा में दाखिले के लिए मना न किया जाए;

(ड.) अन्य कक्षाओं में सामान्यतः कोटे की सीमा के अंतर्गत किसी को दाखिला देने से मना नहीं किया जाना चाहिए। इसमें उनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो मेरिट के आधार पर दाखिला प्राप्त कर लेते हैं।



(2) यह सुनिश्चित करने के लिए कि दाखिले में ऊपर संदर्भित छूट वास्तव में अ.जा. एवं अ.ज.जा. समुदायों के लिए उपलब्ध हैं, रेल प्रशासन निम्नलिखित आँकड़े रखेगा:

- (i) प्रत्येक वर्ष दाखिला चाहने वाले उम्मीदवारों की संख्या;
  - (क) इनमें से अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य समुदाय के रेल सेवकों के बच्चों की पृथक संख्या;
  - (ख) अ.जा., अ.ज.जा. एवं अन्य समुदायों से पृथक, बाहरी व्यक्तियों के लिए।
- (ii) उपरोक्त (i) में यथा वर्णित अनुसार, ऐसे उम्मीदवार जिन्हें दाखिला नहीं दिया गया;
- (iii) अ.जा. एवं अ.ज.जा. उम्मीदवारों के मामले में दाखिला न देने के कारण;
  - (क) जहाँ वे रेल सेवकों के बच्चे हैं;
  - (ख) जहाँ वे बाहरी हैं।

(3) दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण-दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 3% सीटें आरक्षित हैं।

## 6. काम के घंटे एवं अवकाश

6.1 यह निर्णय लिया गया है कि अखिल भारतीय रेलों पर रेल विद्यालय के अध्यापकों के लिए (रेलवे इंटर कॉलेजों के प्राध्यापकों/कनिष्ठ प्राध्यापकों सहित, जहाँ मौजूद हैं) समान छुट्टियाँ/अवकाश नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित की जाए:

- (i) रेल विद्यालय की कार्यविधि एक दिन में 6 घंटे 10 मिनट की होगी (कुल 370 मिनट), जिसमें प्रातः 20 मिनट की सभा/प्रार्थना का समय, 30 मिनट का भोजनावकाश और 40-40 मिनट की अवधि के कुल 8 पीरियड शामिल होंगे, जो भोजनावकाश से पहले एवं बाद में समान रूप से विभाजित होंगे।
- (ii) रेल विद्यालयों के अध्यापकों को प्रत्येक शैक्षिक सत्र के दौरान अनुमेय छुट्टियाँ/अवकाश निम्नानुसार होंगी :
  - (क) ग्रीष्मावकाश 50 दिन (प्रारंभ 11 से 15 मई के बीच किसी भी तारीख को)
  - (ख) शरदकाल अवकाश/दशहरा अवकाश 10 दिन (पर्व कैलेंडर के अनुसार)
  - (ग) शीतकालीन अवकाश 13 दिन (23-24 दिसंबर से आरंभ)

उपरोक्त छुट्टियों की सामान्य सूची है और क्षेत्रीय रेलें इन छुट्टियों को स्थानीय पर्व/प्रथागत आवश्यकताओं अथवा मौसमी परिस्थितियों के अनुसार विभाजित करने के लिए स्वतंत्र हैं परंतु यह ध्यान रखते हुए कि एक वर्ष में कुल 73 छुट्टियाँ ही हों। ओक ग्राव स्कूल, झारीपानी, मसूरी (उत्तर रेलवे) निर्धारित छुट्टियों की संख्या के भीतर शीतकालीन छुट्टियों को बढ़ा सकता है।

- (iii) बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष परिपत्रित कैलेंडर के अनुसार 3 राष्ट्रीय अवकाश सहित 14 अनिवार्य छुट्टियाँ की जाएं।
- (iv) रेलवे बोर्ड द्वारा प्रत्येक वर्ष परिपत्रित वैकल्पिक अवकाश/प्रतिबंधित अवकाश की सूची में से 5 अतिरिक्त अवकाश क्षेत्रीय रेलों के स्वविवेकानुसार होंगी।
- (v) रेल विद्यालयों में प्रत्येक रविवार साप्ताहिक छुट्टी होगी और प्रत्येक माह का दूसरा शनिवार अकार्य दिवस होगा।
- (vi) रेल विद्यालयों में वार्षिक दिवस तथा खेल दिवस के लिए कोई पृथक छुट्टी अनुमेय नहीं होगी और ये दिन उपयुक्त समायोजन अथवा प्रतिपूर्ति के साथ मनाए जाएं।

6.2 अध्यापकों सहित छुट्टी कर्मचारी की छुट्टी पात्रता समय-समय पर यथा-संशोधित उदासीकृत छुट्टी नियम के अनुसार विनियमित की जाती है।

6.3 कार्य/छुट्टी/अवकाश की उपरोक्त सूची को सभी रेल विद्यालयों में वर्ष 2013-14 के शैक्षिक सत्र से लागू किया जाए तथा उसकी अनुपालन रिपोर्ट रेलवे बोर्ड को दी जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 14.08.2013 का पत्रसं. ई(डब्ल्यू)2011/एससी-2/4)

6.4 उपरोक्त पत्र में आंशिक आशोधन करते हुए यह, विनिश्चय किया गया है कि रेल विद्यालय के अध्यापक के लिए प्रत्येक सप्ताह में न्यूनतम कार्य के घंटे तैयारी के घंटे सहित 45 अध्यापन घंटे होने चाहिए। रेल विद्यालय के अध्यापकों के लिए कार्य के घंटों में आशोधन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 10.11.2014 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2011/एससी-2/24)

## 7. वार्षिक रिपोर्ट

सभी रेल इकाइयों को इस परिपत्र के अंत में दिए गए निर्धारित प्रोफार्मा (अनुलग्नक-I से अनुलग्नक-VI) में संगत विवरण बोर्ड को प्रत्येक वर्ष 31 जुलाई तक अवश्य प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।

## 8. केंद्रीय विद्यालय

8.1 रेलों के ऐसे क्षेत्रों में जहां रेल सेवकों की अधिकता है और रेल सेवकों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु राज्य/केंद्र सरकार एवं स्थानीय/निजी एजेंसियों द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली शैक्षिक सुविधाएं अनुपलब्ध अथवा अपर्याप्त पाई जाती हैं, रेल मंत्रालय ने नीतिगत मामले के रूप में यह निर्णय लिया है कि केंद्रीय विद्यालय रेल कॉलोनियों में अधिमानतः "सिविल क्षेत्र" में स्थापित किए जाएं जो कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए विद्यालयों के प्रबंधन पर हमारे वित्तीय भार को कम करेंगे।

8.2 क्षेत्रीय/मंडल मुख्यालयों, बड़े कारखानों तथा अन्य रेल स्थानों, जहां पर रेल सेवकों की अधिकता है या यूँ कहें कि अंतर्राज्यीय स्थानांतरणीय दायिताओं के साथ कम से कम 1000 हों और जब मौजूदा सुविधाएं अपर्याप्त पाई जाएं अथवा ऐसी सुविधाओं का अभाव हों, तो केवल वहीं केंद्रीय विद्यालय खोले जाएं ताकि रेल सेवकों के बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके।

8.3 सामान्यतः ऐसे विद्यालय केवल "सिविल क्षेत्र" में खोले जाएंगे।

8.4 वर्ष 2010 में बजट की उद्घोषणा के आधार पर, रेलवे की भूमि पर 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए रेल मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत सरकार (मा.सं.वि. मंत्रालय/केवीएस) की मंजूरी के आधार पर, संबंधित क्षेत्रीय रेल से उनके महाप्रबंधक (GM), प्रिविस (PFA), प्रिमुअ (PCE) से अनुमोदित एक प्रस्ताव प्राप्त होता है। इस प्रस्ताव पर, स्वीकृत केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए स्थानीय केवीएस प्राधिकारियों के साथ समन्वय करके आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड (एम एस) का अनुमोदन संबंधित जोनल रेलों को संसूचित कर दिया जाता है।

8.5 रेलों को केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए निर्धारित निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवानी होंगी:

(i) पूर्णतः विकसित भूमि (सामान्यतः 10-15 एकड़ की रेंज के बीच, केवल महानगरों के मामलों में इससे कम क्षेत्र, केवल पट्टे के आधार पर);

(ii) विद्यालय के लिए न्यूनतम लाइसेंस शुल्क पर अस्थायी स्थान (आरंभ में न्यूनतम 6-7 कक्षाएं- I से V तक प्रत्येक के लिए एक कक्षा, 1 कक्षा प्रधानाचार्य के लिए और अपेक्षित आधारभूत सुविधाओं के साथ स्टाफ के लिए एक कक्षा) और विद्यालय के प्रगतिशील विकास के साथ अतिरिक्त कक्षाएं उस समय तक जब तक संगठन अपने विद्यालय भवन का निर्माण नहीं कर लेता।

(iii) 50% स्टाफ के लिए आवासीय सुविधा अर्थात् प्रधानाचार्य के लिए (टाइप-IV), अध्यापन स्टाफ के लिए 3 से 4 टाइप- III/II क्वार्टर और श्रेणी-IV के स्टाफ के लिए टाइप-I क्वार्टर की आवासीय सुविधा रेल सेवकों को यथा अनुमेय सामान्य लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर अस्थायी आधार पर उस समय तक उपलब्ध करवाई जाएगी जब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण नहीं कर लेता।

8.6 रेलवे कॉलोनियों में केंद्रीय विद्यालय खुलने के बाद, इस संबंध में रेलवे बोर्ड को तत्काल सूचना दी जाए।

8.7 भारत सरकार द्वारा सिविल क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए निम्नलिखित प्राथमिकताएं तय की गई हैं और इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता:

(i) केंद्र सरकार के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे, जिसमें अखिल भारतीय सेवा एवं भारतीय विदेश सेवा के यूनिफार्म कर्मचारियों में रक्षा/के.रि.सु.ब./ सी.सु.ब. के कर्मचारी शामिल हैं।

(ii) स्वायत्त निकायों एवं केंद्र सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्तपोषित सार्वजनिक उपक्रमों के स्थानांतरणीय कर्मचारियों के बच्चे।

(iii) अस्थानांतरणीय केंद्र सरकार के कर्मचारियों एवं रक्षा कर्मियों के बच्चे।

(iv) अन्य प्रकार के लोगों के बच्चे, जिसमें ऐसे सिविलियन लोग शामिल हैं जो केंद्रीय विद्यालयों द्वारा स्वीकार किए गए अध्ययन के स्वरूप को अपनाने के इच्छुक हैं।

(v) सिविल क्षेत्र के केंद्रीय विद्यालयों की प्रायोजक एजेंसियों के कर्मचारियों के बच्चों के लिए पहली कक्षा के प्रत्येक सेक्शन में 10 सीटें एवं कुल 10 सीटें अन्य कक्षाओं को मिलाकर प्रत्येक वर्ष आरक्षित रखी जाएंगी। ये सीटें नॉर्मल कोर्स में मांगे गए दाखिले के अतिरिक्त होंगी।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 26.9.1999 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99एससी-2/18)

8.8 केंद्रीय विद्यालयों के खुलने पर, रेल प्रशासन मितव्ययी प्रकार के प्राथमिक/प्राथमिक विद्यालयों आदि, यदि कोई पहले से ही उन स्टेशनों पर चल रहे हैं, को बंद करने के लिए कदम उठाएगा।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 18.10.1988 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)81/एससी-2/91 पार्ट I)

8.9 रेल भूमि को लंबी अवधि के लिए पट्टे पर देने हेतु महाप्रबंधकों को शक्तियां: बोर्ड ने बोर्ड(एम एस) द्वारा केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन देने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन को केंद्रीय विद्यालय खोलने के लिए 1 रु./- प्रति वर्ष की दर पर 99 वर्ष की लीज पर 15 एकड़ रेलवे भूमि (महानगरों के लिए 4 एकड़, पहाड़ी एवं शहरी क्षेत्रों के लिए 8 एकड़ और अर्ध-शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 10 एकड़) लीज पर देने के लिए महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित करने का निर्णय लिया है।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 15.07.2016 का पत्र सं. 2013/एलएमएल/21/17)

## 9. परियोजना क्षेत्रों में केंद्रीय विद्यालय

परियोजना क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय खोलने से रेलों पर वित्तीय बोझ बड़ेगा क्योंकि आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय दोनों हमारे द्वारा वहन किए जाने हैं। केंद्रीय विद्यालय संगठन स्टाफ को 100 प्रतिशत आवासीय सुविधाएं प्रदान की जानी है। (रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.01.1985 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)81एससी-2/91)

## 10. केंद्रीय विद्यालय भवनों का निर्माण

केंद्रीय विद्यालय भवनों एवं स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण रेलों द्वारा "जमा कार्य" शर्तों के आधार पर किया जाना है। ऐसे निर्माण कार्यों के अनुमान तैयार करने एवं निष्पादन के लिए दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:

(i) विद्यालय के भवन जिनका निर्माण किया जाना है, वे 2752 वर्ग मीटर सकल फर्श क्षेत्रफल के साथ 1 करोड़ रुपए की सकल लागत को ध्यान में रखते हुए संगठन के "बी"टाइप भवनों के लिए संगठन की विशिष्टियों के अनुरूप होने चाहिए। इसमें क्वार्टरों एवं फेंसिंग/बाऊंड्री वॉल आदि शामिल नहीं होंगे लेकिन इसमें आंतरिक विद्युतीकरण, जल आपूर्ति, जल निकासी आदि शामिल होंगे। विशिष्टियों एवं/सैम्पल स्कैच की एक प्रति आपकी सूचना हेतु संलग्न हैं।

(ii) संगठन ने यह वांछा की है कि पहली बार में केवल 11 स्टाफ क्वार्टर ही निम्नानुसार मुहैया कराए जाएं:

टाइप I	-	2 अदद
टाइप II	-	4 अदद
टाइप III	-	4 अदद
टाइप IV	-	1 अदद

इन्हें रेलों के अपने डिज़ाइन एवं अनुमानों के अनुसार मुहैया कराया जाए, परंतु केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक पृथक अनुमान स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाए। स्टाफ क्वार्टरों की लागत भी संगठन द्वारा वहन की जानी है;

(iii) विद्यालय परिसर की बाऊंड्री वॉल/वायर फेंसिंग लगभग 5 लाख रु. की लागत पर सस्ते किस्म की लगाई जाए। सड़क, सामान्य विकास शुल्क, परिसरों में बिजली व्यवस्था, भवन के बाहर बाऊंड्री वॉल/वायर फेंसिंग जैसी सहायक सामग्री को इस अनुमान में शामिल किया जाए और स्वीकृति के लिए संगठन को प्रस्तुत किया जाए।

(iv) जल आपूर्ति, बिजली आदि के सेवा शुल्क के संबंध में, मौजूदा रेल नेटवर्क से कनेक्शन देने की संभावना का पता लगाया जाए और केंद्रीय विद्यालय संगठन के साथ ऐसी मर्दों के लिए मुख्य करार के साथ-साथ उप-करार को निष्पादित कर मीटर आपूर्ति के आधार पर शुल्क लगाया जाए और इन शुल्कों का भुगतान विद्यालयों द्वारा किया जाएगा। इसलिए ट्यूबवेल/ओवरहेड टैंक, ऐसे अनुमानों के लिए फिलहाल मुहैया नहीं कराए जाएंगे।

(v) विभागीय प्रभार: केंद्रीय विद्यालय संगठन को रेलवे कॉलोनिजों की ओर आकर्षित करने के लिए, रेलवे बोर्ड ने एक विशेष मामले के रूप में, रेलवे कॉलोनिजों में केंद्रीय विद्यालय कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर 12.5% के विभागीय प्रभारों को माफ करने के लिए सहमति दे दी है। हालांकि, रेल संहिताओं में यथा-उपबंधित लोडिंग/अनलोडिंग एवं माल-भाड़ा प्रभार केवल उन भंडारों के संबंध में आरोपित किए जाएं जिनकी आपूर्ति रेलों द्वारा की जा रही है। इसी प्रकार, आवश्यकताओं के अनुसार कार्य प्रभारित स्थापनाओं पर कार्य किया जाए और अनुमानों में रखा जाए। इस आशय का उद्देश्य यह है कि रेलें ऐसे कार्यों के निष्पादन के लिए केवल उचित शुल्क वसूल करें। केंद्रीय विद्यालय संगठन को अनुमान तैयार करने के लिए सीधे क्षेत्रीय मुख्यालयों से संपर्क करने की सलाह दी गई है और उन्हें हर संभव सहायता प्रदान की जाए।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 21.1.1987 का पत्र सं. 86/डब्ल्यू2/8/14)

## 11. रेलवे कॉलोनिजों में केंद्रीय विद्यालय भवनों का निर्माण

यह सेक्शन संबंधित निदेशालय द्वारा जारी किए गए अनुदेशों में अनुबद्ध प्रावधानों द्वारा शासित किया जाएगा।

## 12. रेलवे कॉलोनिजों में गैर-रेल विद्यालय

शिक्षा मुख्यतः राज्य का विषय है, रेल कॉलोनिजों में चल रहे निजी प्रबंधन वाले विद्यालयों को सामान्यतः रेल प्रशासन द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए।

12.1 जहां कहीं भी रेलवे स्टाफ द्वारा अतिरिक्त विद्यालय की आवश्यकता महसूस की जाती है, जहां तक संभव हो ऐसे विद्यालयों की व्यवस्था एवं प्रबंधन रेलकर्मियों द्वारा स्वयं किया जाए और इस प्रयोजन के लिए रेल प्रशासन प्रबंधनों को उपयुक्त सहायता प्रदान करें। ऐसे विद्यालयों की जाने वाली सहायता निम्नानुसार हो सकती है:

(i) अनावर्ती व्यय:

(क) ऐसे विद्यालयों के संबंध में जो संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं एवं एवं भली-भांति से सुस्थापित हैं, मौजूदा विद्यालय भवन के विस्तार अथवा नए निर्माण के किसी भी प्रस्ताव पर एजेंसियों से इस प्रयोजन के लिए अपेक्षित राशि के कुछ हिस्सक को बढ़ाने के लिए कहा जाए ताकि इस उद्यम में उनकी वित्तीय हिस्सेदारी हो, रेलों से वित्तीय सहायता सब्सिडी के रूप में हो। रेलवे भूमि एवं भवन जहां यह अतिरिक्त रूप से हो सकते हैं उन्हें नाम मात्र लाइसेंस शुल्क पर पट्टे पर दिया जा सकता है। लाइसेंसधारी द्वारा भूमि पर बनाए गए किसी भी ढाँचे के लिए कोई मुआवजा देय नहीं होगा, यदि रेलवे लाइसेंस को समाप्त कर देती है।

(ख) फर्नीचर एवं उपस्कर रेल राजस्व से भी खरीदे जा सकते हैं और रेलकर्मियों द्वारा चलाए जा रहे निजी प्रबंधन वाले विद्यालयों को दान किए जा सकते हैं। किया जाने वाला खर्च इस प्रयोजन के लिए विद्यालय द्वारा खर्च की जाने वाली प्रस्तावित राशि के बराबर हो सकता है, बशर्ते कि यह उस राशि के 50% से अधिक न हो जो राशि रेलवे द्वारा उस स्थिति में खर्च की गई होती यदि यह विद्यालय रेल विद्यालय होता।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.12.1961 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)61ईडी2-24)

(ii) आवर्ती व्यय

रेलवे कॉलोनियों में चल रहे कुछ निजी प्रबंधन वाले विद्यालय अपना बजट संभालने एवं रेल राजस्व से मिलने वाले सहायता अनुदान के बिना चलने में असमर्थ थे। चूंकि ऐसे विद्यालय बंद करने से रेल सेवकों के बच्चों की शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता इसलिए महाप्रबंधकों को प्रति बच्चे (रेल सेवकों के बच्चों/आश्रितों सहित) औसत हानि के आधार पर अथवा प्राथमिक/मिडल/उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रति माह क्रमशः 8 रुपये, 12 रुपये और 16 रुपये प्रति बच्चे की दर से, जो भी कम हो, आवर्ती तदर्थ अनुदान स्वीकृत करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। (रेलवे बोर्ड का दिनांक 4.12.1998 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)98ईडी2-9)

12.2 रेल राजस्व से अनावर्ती/आवर्ती अनुदानों के लिए, निजी प्रबंधन वाले विद्यालय को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी:-

- (i) अनुदान प्राप्त करने की पात्रता हेतु, एक विद्यालय में कम से कम एक तिहाई छात्र अथवा 100 छात्र, जो भी कम हों रेल सेवकों के बच्चों में से होने चाहिए;
- (ii) विद्यालय ऐसा हो जो संबंधित राज्य सरकार द्वारा उसकी शिक्षा संहिता के अनुसार सभी प्रयोजनों के लिए पूरी तरह से मान्यताप्राप्त हो और शिक्षा संहिता के तहत यथा-अनुमेय पूर्ण सहायता अनुदान प्राप्त हो;
- (iii) अनुदान की मंजूरी केवल ऐसे विद्यालयों के लिए दी जाए जो अपना बजट संतुलित करने में असमर्थ हों;
- (iv) सहायता अनुदान की राशि तदर्थ रूप में तय की जाए लेकिन किसी भी स्थिति में न तो प्रति बच्चा (रेल सेवकों के बच्चों/आश्रितों सहित) औसत "हानि" से अधिक हो और न ही प्राथमिक/मिडल/उच्च और उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं के लिए प्रति माह क्रमशः 8 रुपये, 12 रुपये और 16 रुपये प्रति बच्चा की दर से अधिक हो;
- (v) मंजूरी वार्षिक आधार पर दी जाए और अनावर्ती लागत के किसी भी तत्व की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

12.3 बोर्ड के दिनांक 17.10.56 के पत्र के अंतर्गत कवर किए गए मामलों को छोड़कर शेष सभी मामलों में निजी प्रबंधन वाले विद्यालयों को वित्तीय सहायता देने के लिए रेलवे बोर्ड का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना होगा। निजी प्रबंधन वाले विद्यालयों को दिया जाने वाला सहायता अनुदान निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्वधीन होगा:-

- (i) रेलकर्मियों द्वारा चलाए जा रहे प्रत्येक विद्यालय की प्रबंध समिति पर रेल प्रशासन का प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जहां तक संभव हो, इस संबंध में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा बनाये गए नियमों के अध्वधीन, यदि कोई हैं, एक रेल अधिकारी प्रबंध समिति का अध्यक्ष होना चाहिए।

(ii) अनुदान मंजूर करते समय रेल प्रशासन, विद्यालय प्राधिकारियों को जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, जाँच करने के लिए पैरा 2071-जी। में अनुबद्ध शर्तों के बारे में बताना चाहिए।

(iii) रेलों के प्रबंधन वाले विद्यालयों की भांति ही शिक्षा अधिकारी/रेल अधिकारियों द्वारा इन विद्यालयों का नियमित दौरा/निरीक्षण किया जाए और इन अधिकारियों द्वारा रिपोर्ट की गई कमियों को विद्यालयों की प्रबंध समितियों के ध्यान में लाया जाए ताकि इन्हें दूर किया जा सके। रेल प्रशासन द्वारा विद्यालय के मामलों में दी गई सलाह पर प्रबंध समिति के जिम्मेदार न होने की स्थिति में, प्रशासन स्थायी अथवा अस्थायी रूप से सभी सब्सिडी, अनुदान एवं सहायता को रोकने के लिए स्वतंत्र होगा।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 20.12.1961 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)61ईडी2/24)

### 13. रेल विद्यालयों में सुधार

रेल विद्यालयों में सुविधाओं एवं शिक्षा के स्तर में सुधार करने के लिए, वर्ष 1986 में श्री अवतार सिंह रिखी की अध्यक्षता में एक व्यक्ति समिति स्थापित की गई थी। रेल विद्यालयों में शिक्षा के विभिन्न पहलुओं पर समिति की सिफारिशों पर बोर्ड द्वारा विचार किया गया और जहाँ कहीं भी व्यवहार्य था, उसे अपनाया गया। बोर्ड की सिफारिशों और निर्णयों का सार बोर्ड के दिनांक 17.8.1987 के पत्र सं.ई(डब्ल्यू)87ईडी-1/5 के अनुलग्नक में समाविष्ट है। इन उपायों के अतिरिक्त, विद्यालयों के काम-काज में सुधार के लिए बोर्ड द्वारा निम्नलिखित निर्णय भी लिए गए हैं:

(i) रेलों के सभी प्राथमिक एवं मितव्ययी किस्म के प्राथमिक (एटीपी) विद्यालयों में शिक्षा विभाग द्वारा प्रारंभ की गई "ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड" को योजना को लागू किया जाना। इसमें, इन विद्यालयों में कुछ मूलभूत न्यूनतम सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

(बोर्ड का दिनांक 12.1.1998 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)87ईडी/15 पार्ट-III और दिनांक 5.7.89 का अ.शा.का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)88ईडी1/12वॉल)

(ii) विद्यालयों के पास पुस्तकालयों की योजना एवं संवर्धन के लिए सुनिश्चित धन राशि हो, इस बात का ध्यान रखते हुए, वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में विद्यालय के पुस्तकालयों के लिए निम्नलिखित राशि निर्धारित की जाए:

#### विद्यालयों की किस्म

#### रु.प्र.व.प्रति विद्यालय

(i) ए टी पी विद्यालय:

- ऐसे विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 50 से अधिक लेकिन 100 से कम है 1,000
- ऐसे विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 100 से अधिक लेकिन 200 से कम है 1,250
- ऐसे विद्यालय जिसमें छात्रों की संख्या 200 से अधिक है 1,500

(ii) प्राथमिक विद्यालय 3,000

(iii) माध्यमिक विद्यालय 5,000

(iv) उच्च विद्यालय 10,000

(v) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/इंटर कॉलेज 15,000

(बोर्ड का दिनांक 7.6.1999 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)98ईडी2-10)

(iii) ऐसे विद्यालयों के संबंध में, जिनके पास लाइब्रेरियन का पृथक पद नहीं है, वहाँ एक योग्य शिक्षक द्वारा पुस्तकालय का रख-रखाव किया जाए, जिसे प्रति माह मूल वेतन के 2%(प्रतिशत) की समान दर पर अतिरिक्त कार्य भत्ता प्रदान किया जाए।

(बोर्ड का 12.10.1988 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)88ईडी1-9, दि. 27.12.2017 का पत्र सं. (ईपीएंड ए)2017/एसपी-1जनरल)

(iv) विद्यालय के पुस्तकालयों को पाठ्य-पुस्तकों, संदर्भ पुस्तकों, समाचारपत्रों/पत्रिकाओं आदि के संग्रहण द्वारा सुदृढ़ एवं छात्रों में जागरूकता और रुचि पैदा करने हेतु उन्हें प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश मौजूद हैं।

(बोर्ड का दिनांक 5.7.88, 8.7.88, 17.8.89, 14.2.90, 12.3.90 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)88ईडी1-9)

(v) यह निर्णय लिया गया है कि रेल विद्यालय के शिक्षकों का सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रबंध स्वयं क्षेत्रीय रेलों द्वारा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद एवं अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर स्थित उसके क्षेत्रीय संस्थानों के साथ-साथ क्षेत्रीय सेवाकालीन प्रशिक्षण एवं विस्तार केंद्र, बेंगलूरु और पूर्वोत्तर क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान, शिलोंग एवं राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की सहायता से किया जाए। केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से भी बात की जाए। रेलों युवा एवं योग्य पीजीटी को संसाधन स्वरूप व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए भेज कर संसाधन स्वरूप व्यक्तियों का एक कैंडर तैयार करें जो बाद में रेल विद्यालयों में टीजीटी आदि को प्रशिक्षण दे सकें, जिससे कालांतर में रेलों से बाहर के प्रशिक्षण केंद्रों को अनुरोध करने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए क्षेत्रीय रेलों को व्यय उठाने एवं भुगतान करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया है।

(दिनांक 21.8.98 एवं 9.11.99 का अ.शा. पत्र सं.ई(डब्ल्यू)97ईडी2-97)

(vi) रेल विद्यालयों में शिक्षा परिणामों, शिक्षकों के प्रशिक्षण, विद्यालय का परिवेश, छात्र-शिक्षक अनुपात इत्यादि जैसे विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

(vii) महाप्रबंधक, शिक्षकों को एन सी ई आर टी, क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान और एस सी ई आर टी आदि में सेवाकालीन प्रशिक्षण के लिए प्रतिनियुक्त कर सकते हैं।

(दिनांक 20.11.89 का अ.शा. पत्र सं.ई(डब्ल्यू)89ईडी1-11 एवं 9.11.99 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)97ईडी-2/9)

(viii) भवन की मरम्मत, संस्थागत सहायता, राज्य शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता सुनिश्चित करके, आस-पास के वातावरण को सुंदर बनाने एवं बागबानी संबंधी गतिविधियों के प्रति जागरूकता फैला कर रेल विद्यालयों में सुधार लाने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं। महाप्रबंधक, डी आर एम और डी पी ओ, डी ई एन एवं डी ए ओ की समिति द्वारा रेल विद्यालयों के नियमित निरीक्षण पर भी बल दिया गया है। रेलों पर अलाभकारी ए टी पी विद्यालयों को बंद करने के औचित्य एवं राज्य सरकार से रेल विद्यालयों के लिए सहायता अनुदान प्राप्त करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है।

(दिनांक 18.2.99 का अ.शा. पत्र सं.ई(डब्ल्यू)98ईडी2-7 एवं दिनांक 17.5.99 का पत्र)

(ix) रेल विद्यालयों में शिक्षा का स्तर सुधारने की दृष्टि से निम्नलिखित अनुदेश/उपाय/कदम उठाए गए हैं (क) रेल विद्यालयों में ठेके पर शिक्षकों की नियुक्ति (ख) ठेके पर लगाए गए शिक्षकों की लगातार दो अंशकालिक नियुक्तियों के बीच की अवधि कम करना (ग) ठेके पर नियुक्त रेल विद्यालयों के शिक्षकों को दिए जा रहे समेकित मासिक पारिश्रमिक में वृद्धि।

(x) ठेके पर अध्यापकों की नियुक्ति:

(क) केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर रेल विद्यालयों के समग्र कार्य निष्पादन में सुधार लाने के लिए अल्पकालिक रिक्तियों के संबंध में अंशकालिक शिक्षकों की ठेके के आधार पर नियुक्ति।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 02.11.2007 का पत्र सं.ई(डब्ल्यू)2007/एससी-2/7)

(ख) रेल मंत्रालय ने दिनांक 21.03.2013 के पत्र सं.11029/39/2011/केवीएस(एचक्यू)एकैड के तहत केंद्रीय विद्यालय में ऐसे शिक्षकों को भुगतान की जा रही समेकित राशि की तर्ज पर ठेके के आधार पर शिक्षकों को दिए जा रहे समेकित मासिक पारिश्रमिक में संशोधन किया है। मानदेय की राशि निम्नानुसार है:

पदनाम	समेकित मासिक वेतन(रुपयों में)
पीजीटी सभी विषय	27,500/-
टीजीटी सभी विषय	26,250/-
पीआरटी	21,250/-

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.07.2014 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2007/एससी-2/7)

a. रेल विद्यालयों के लिए ठेके के आधार पर शिक्षकों की 2 क्रमिक नियुक्तियों के बीच के निर्धारित समय के अंतर को विद्यालय कैलेंडर में यथा-निर्धारित सामान्य छुट्टियों की अवधि को छोड़कर (60) दिनों से घटाकर एक सप्ताह (07 दिन) किया जा सकता है। निरंतर रोजगार/नियुक्ति के दावे से बचने के लिए हर बार एक अनुबंध दर्ज करते समय पिछले अनुबंध के नवीकरण के स्थान पर एक नया अनुबंध हस्ताक्षरित किया जाए और नए अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय पिछले अनुबंध का कोई संदर्भ न दिया जाए। इसके अलावा, संविदा में यह स्पष्ट रूप से अनुबंधित किया जाए कि वह, सचिव, कर्नाटक सरकार एवं अन्य बनाम उमा देवी एवं अन्य के मामले में सिविल अपील सं 3595-3612/1999 आदि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 10.04.2006 के निर्णय के अनुसार, केवल उनके पास इस आधार पर नियमितकरण का दावा अथवा अधिकार नहीं है कि वह अनुबंध के आधार पर नियुक्त हैं, जैसा कि रेलवे बोर्ड के दिनांक 23.06.2006 के पत्र सं ई(एल)2006/एटी/एनआरई/1 के तहत परिपत्रित किया गया था।

(रेलवे बोर्ड का दिनांक 30.07.2014 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)2007/एससी-2/7)

(xi) भारतीय रेल द्वारा लगभग 120 रेल विद्यालय जिनमें मितव्ययी प्रकार के विद्यालय, प्राथमिक, जूनियर, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं और एक डिग्री कॉलेज चलाये जा रहे हैं। इन विद्यालयों/कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए बोर्ड(एमएस) ने सभी भारतीय रेलों के महाप्रबंधकों को इन विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कदम उठाने के संबंध में एक अर्धशासकीय पत्र लिखा था।

(दिनांक 17.01.2017 का अ.शा. पत्र सं. ई(डब्ल्यू) 2016/एससी-2/39)

#### 14. वार्षिक पुरस्कार योजना

रेल विद्यालयों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाकर और प्रधानाचार्यों/प्रधान अध्यापकों/अध्यापकों/छात्रों को उत्कृष्टता प्राप्त करने पर प्रोत्साहन प्रदान करने, रेल विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र वर्ष 1999-2000 से वार्षिक पुरस्कार योजना निम्नानुसार आरंभ की गई:-

पुरस्कार	क्षेत्रीय स्तर	रेलवे बोर्ड स्तर
(i) सर्वश्रेष्ठ अध्यापक	4000/-रु.	5000/-रु.
(ii) सर्वश्रेष्ठ छात्र	3000/-रु.	4000/-रु.
(iii) सर्वश्रेष्ठ विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधान अध्यापक	4500/-रु.	5000/-रु.
(iv) सर्वश्रेष्ठ विद्यालय	रनिंग शील्ड	रनिंग शील्ड



#### 14.1 चयन के लिए मानदंड:

**सर्वश्रेष्ठ अध्यापक** - शिक्षण की प्रभावशीलता, कार्य के प्रति निष्ठा, छात्रों को प्रेरित करने के लिए नेतृत्व गुण एवं पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना।

**सर्वश्रेष्ठ छात्र** - सार्वजनिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर।

**सर्वश्रेष्ठ विद्यालय** - पास प्रतिशत द्वारा प्रदर्शित होने वाला शैक्षिक प्रदर्शन, डिस्टिंक्शन, सार्वजनिक एवं स्थानीय परीक्षाओं में प्रथम डिवीजन(वेटेज 50%), क्रीड़ा एवं खेल-कूद में उपलब्धियाँ(20%), साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ(20%), स्काउट्स एवं गाइड्स(10%)।

**सर्वश्रेष्ठ प्रधानाचार्य/ प्रधानाध्यापक** - सर्वश्रेष्ठ चुने गए विद्यालय के पदाधिकारी।

प्रत्येक रेल इकाई के सर्वश्रेष्ठ अध्यापक/छात्र/विद्यालय/प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक में से बोर्डस्तर पर पुरस्कार के लिए सर्वश्रेष्ठ का चयन रेलवे बोर्ड द्वारा किया जाएगा। पुरस्कार रेल सप्ताह समारोह के दौरान दिए जाएंगे।


(रेलवे बोर्ड का दिनांक 24.03.2000 का पत्र सं. ई(डब्ल्यू)99/ईडी-2/1)

14. यद्यपि विषय पर सभी संबद्ध परिपत्रों को शामिल करने के सभी प्रयास किए गए हैं, यदि कोई परिपत्र, जिसका लोप किया जाना हो और उसे नहीं हटाया गया हो, परिपत्र जो चूक के कारण छूट गया है, वह भी कायम रहेगा। ऐसे परिपत्र को रेलवे बोर्ड के ध्यान में लाया जाए ताकि पूरक परिपत्र जारी करने के लिए उचित कार्रवाई की जा सके।

14.1 मास्टर परिपत्र में किए गए समेकन को मूल परिपत्र के केवल आधार के रूप में माना जाए न कि उसके प्रतिस्थापन के रूप में किसी भी प्रकार की शंका होने की स्थिति में मास्टर परिपत्रों में संदर्भित मूल परिपत्रों को प्राधिकार के रूप में माना जाएगा।

14.2 यह ध्यान दिया जाए कि विभिन्न परिपत्रों के तहत जारी आदेश/अनुदेश उपयुक्त मूल पत्रों के जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होंगे जब तक कि संबंधित पत्र में अन्यथा विशेष रूप से न दिया जाए। अतः, पुराने मामलों पर कार्रवाई के लिए उस समय पर लागू अनुदेशों का संदर्भ लिया जाए।

15. कृपया पावती दें।



(रजनी भट्ट)

निदेशक/स्था.(कल्याण)

रेलवे बोर्ड

## रेलवे विद्यालयों का ब्यौरा

क्रम सं.		डिग्री कॉलेज	इंटर कॉलेज/हायर सेकेंडरी विद्यालय	उच्च विद्यालय	माध्यमिक विद्यालय	प्राथमिक विद्यालय	एटीपी विद्यालय	कुल
1.	रेलवे विद्यालयों की संख्या							
2.	रेलवे वाडों की संख्या							
	गैर-रेलवे वाडों की संख्या							
	एस सी वाडों की संख्या							
	एस टी वाडों की संख्या							
3.	प्रधानाचार्य/हेडमास्टर							
	पीजीटीज़							
	टीजीटीज़							
	सहायक/प्राथमिक विद्यालय शिक्षक							
	संविदा शिक्षक							
4.	गैर-शिक्षण स्टाफ							
5.	वार्षिक व्यय							
	आवर्ती व्यय(रु में)							
	गैर-आवर्ती व्यय(रु में)							

अनुलग्नक-II

रेलवे विद्यालयों में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी

क्रम सं.	रेलवे विद्यालयों का नाम और उसका लोकेशन	विद्यालय का प्रकार/लड़का/लड़की/मिश्रित	राज्य	वर्ग	शिक्षा का माध्यम	विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या				31.03.2019 को स्वीकृत संख्या	डीबीएसई/राज्य शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त
						रेलवे वाई	गैर-रेलवे वाई	एस सी वाई	एस टी वाई	शिक्षण स्टाफ	गैर-शिक्षण स्टाफ

अनुलग्नक-III

शैक्षिक सहायता, ट्यूशन शुल्क और होस्टल सब्सिडी के ब्यौरे

मद संबंधी व्यय(रु में)	उन बच्चों की संख्या जिनके संबंध में दिया गया है	उन रेलवे कर्मचारियों की संख्या जिनको दिया गया है।	भुगतान की गई कुल राशि(रु में)	पिछले वर्ष की राशि की तुलना में प्रतिशत/वृद्धि/कमी	वृद्धि/कमी के कारण
ट्यूशन शुल्क					
चिल्ड्रेन शिक्षा भत्ता					
होस्टल सब्सिडी					

**अनुलग्नक-IV**

**रेलों पर कार्यरत केन्द्रीय विद्यालय(केवीज़)**

क्रम सं.	केन्द्रीय विद्यालय का स्थान	खलुने का वर्ष	कक्षाएं	विद्यार्थियों की संख्या		शिक्षकों की संख्या	राजस्व से हुआ व्यय(प्रोजेक्ट सेक्टर स्कूल में ही (रु) में)		स्थायी/अस्थायी
			से	तक	रेलवे आश्रित	गैर रेलवे आश्रित	आवर्ती	गैर आवर्ती	

**अनुलग्नक-V**

**सब्सिडी वाले होस्टल**

सब्सिडी वाले होस्टल के स्थान का नाम	खलुने का वर्ष	क्षमता	होस्टल में रहने वाले छात्र जिस विभिन्न वर्गों में पढ़ते हैं			कुल(4+5+6) रेलवे आश्रित	आय(रु में)	कुल किया गया शुद्ध व्यय(रु में)		बच्चों की संख्या जो निम्नलिखित दर पर भुगतान करते हैं
			स्कूल	कॉलेज	तकनीकी पाठ्यक्रम			आवर्ती	गैर आवर्ती	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

**अनुलग्नक-VI**

**रेलवे स्कूल का शुल्क संरचना**

शुल्क संरचना - वर्ग-वार(रु में)			
स्कूल का नाम	स्थान	क्षमता	

**Government of India  
Ministry of Railways  
(Railway Board)**

No. E(W)2019/SC-2/3

New Delhi, dated 22 .01.2021

The General Managers,  
All Indian Railways & Production Units

**Subject: Provision of schools in Railway Colonies for the children of Railway Servants.**

Reference Board's letter No. E(W)90/SC-2/Master Circular dated 21.12.1990 and E(W)2000/SC2/MC/18 dated 31.05.2001. Since then, a number of instructions on this subject have been issued in the form of Supplementary Circulars to the main Master Circular. It has now been decided by the Ministry of Railways to consolidate these instructions and issue a revised and updated version of the Master Circular as under, for information and guidance of all concerned.

**2. Railway Schools**

2.1 Educational facilities provided on the Railways owe their origin to the necessity for fulfilling the educational needs of the children of European and Anglo-Indian employees who, in the last century, formed a considerable proportion of the Railway servants posted at places where no European Schools were available. With this end in view, Railway schools were established at large Railway establishments. Certain Railways established boarding schools at hill stations for imparting education under European conditions. Other Railways assisted their employees by undertaking to pay a portion of the tuition fees. The educational facilities thus provided for Europeans were later extended to Anglo-Indians and when the number of educated Indians began to increase in Railway Services, the Railways began to provide such facilities for the children of Indian Railways servants at places where adequate arrangements did not exist.

2.2 Under Article 246 - Item 25 of Concurrent List/List-III (Seventh Schedule), provision of educational facilities is primarily the responsibility of State Govt./Union Ministry of Human Resource Development (re-named as Ministry of Education). However, Railways have provided educational facilities to the limited extent within the constraint of available resources purely as a measure of staff welfare to meet the needs of wards/children of Railway servants only at such places where there is a concentration of Railway servants and the educational facilities provided thereat by other agencies viz. Central/State & private are found inadequate or are totally absent resulting in hardship or inconvenience to them.

2.3 Educational facilities provided by the Railways are generally confined to Primary/Middle/ High/Senior Secondary Standards. The Railways do not normally enter into the field of college and Technical education owing to their extant policy keeping in view the far reaching administrative and financial implications.

### 3. Schools functioning in Railway colonies

Several Railway Educational Institutions comprising a Degree College, Senior Secondary Schools, High Schools, Middle, Primary and ATP Schools are functioning on our system. In addition to this, Kendriya Vidyalayas (both under Civil and Project sector) and numerous private schools are also functioning on Railway land in order to cater to the needs of children of Railway servants.

3.1 It may be reiterated that provision of educational facilities is primarily the responsibility of the State Govt./Union Ministry Education. It is admitted that difficulties in this respect were being experienced in the past by Railway servants but with the passage of time and considerable and extensive educational facilities being provided by different agencies, Government as well as private at various places, the demands for expansion/upgradation of schools to the various levels/standards, should considerably reduce and finally cease to exist. Railway servants should, therefore, avail of the existing educational facilities which have been provided by the State Govt. etc. for the general public. To achieve this goal, the Board have also decided as a matter of policy to establish Kendriya Vidyalayas preferably in "Civil Sector" in Railway colonies which while meeting the needs of the employees, will also reduce our financial burden on the administration of the schools.

*(Railway Board's letter No. E(W)83/SC-2/27 dated 13.9.1988)*

3.2 Keeping in view the existing facilities at various places where there is a concentration of Railway servants, constraint of funds, restrictions imposed on creation/upgradation of posts without matching surrender of live posts and imperative need to effect stringent economy in administrative expenditure etc., the Board desire that a critical review of Austerity Type Primary Schools should be undertaken by respective Railway Administrations and the feasibility of closure, amalgamation or conversion of such schools should be examined and a phased programme should be chalked out. Similar study/review should also be conducted in respect of other schools viz. Primary, Middle, High/Higher Secondary Schools on opening/expansion of non-Railway Schools and Kendriya Vidyalayas and efforts should be made to progressively close down the existing Railway schools matching the expansion of Kendriya Vidyalayas and other non-Railway schools.

3.3 With this end in view, the following points should be kept in view by the Railway Administrations while forwarding their proposals regarding upgradation/expansion of Railway Schools, introduction of new sections/classes/subjects etc. in the prescribed proforma to the Railway Board:-

- (i) No post-facto sanction of the Board to regularize the action taken by the Railway Administration without their prior approval will be accorded and may also result in reversing the action taken by the Railway Administration and fixing responsibility on the officers concerned for non-compliance of Board's orders;
- (ii) No proposal for opening of new Railway school should be sent to the Board;
- (iii) Efforts should continue to be made to obtain grant-in-aid from respective State Governments where Railway Schools are situated;
- (iv) Proposals for expansion/upgradation, etc. of Railway Schools should be submitted to the Board for consideration only sparingly and where inescapable and fully justified taking into account the existing schooling facilities, etc. subject to the Railway

Administration being able to muster suitable matching surrender of live posts equal to the cost of posts of teaching and non-teaching staff involved in the proposal; and

- (v) On opening of Kendriya Vidyalayas in Railway colonies, the concerned Railway Administration should take immediate steps to close down the ATP Schools, if any, already functioning at the stations. Steps for closing down the higher classes/schools may be taken progressively with the expansion of the Kendriya Vidyalayas.

3.4 Proposals regarding opening of new sections/classes, introduction of new subjects, upgradation of schools etc. should be sent to the Board (with detailed estimate of recurring and non-recurring expenditure involved) duly vetted by the FA&CAO in prescribed proforma positively by December each year to enable the Board to consider the same on merit and accord their approval, if found feasible before the commencement of the academic session.

*(Railway Board's letter No. E(W)83/SC-2/27 dated 13.9.88)*

#### 4. General

4.1 Railway schools functioning in various Railway colonies must be got recognised by the Education Board/ Department of the respective State Govts. or Central Board of Secondary Education, New Delhi.

4.2 Railway Administrations should fall in line in respect of Medium of Instruction in Railway Schools with the State Governments to the extent obligatory as per their orders. For this purpose, if appointment of language teachers becomes necessary, the same may be done after obtaining the sanction of the competent authority if the State Govts. have also done so in the schools run by them.

*(Railway Board's letter No. E(W)49/EDI-3/8 dated 11.2.1956)*

4.3 The children of outsiders should be admitted only if spare capacity is available, after admitting all children and wards of Railway servants.

*(Railway Board's letter No. E(W)59/ED1/49 dated 2.1.1960)*

4.4 Wherever free education is provided by the State Governments in lower classes in schools run by them, the Railway Schools in these areas should also provide free education in lower classes run by them. They should approach the State Govt. for grant-in-aid to cover losses in fees through suitable grant-in-aid according to the scales which may have been laid down for covering losses in fees in aided schools.

*(Railway Board's letter No. E(W)60/ED1/7 dated 4.2.1960)*

4.5 In all Railway Schools, the day's work should begin with the community singing of the National Anthem.

*(Railway Board's letter No. E(W)63/ED1/33 dated 10.9.63)*

4.6 Scout and Guide activities should also be given due encouragement in Railway Schools, particularly in Primary and Middle Schools, etc. to inculcate the spirit of selfless service, self discipline etc. amongst the children, which will go a long way in character building. Assistance and guidance, if any needed in this respect, may be sought from the Railway's Scout & Guide Organizations functioning at various levels.

*(Railway Board's letter No. E(W)84/SC2/10 dated 19.9.88)*

4.7 (i) Coaching for courses for children of Railway servants for recruitment to the non-technical popular categories/technical categories like Office Clerks, Commercial Clerks, Asstt. Station Masters, Guards, etc., through examinations conducted by Railway Recruitment Boards may be imparted in Railway Schools where requisite infrastructure facilities are available during non-working schools hours i.e. either in the morning evening or on holidays for a specific duration;

(ii) Admission to coaching classes shall be restricted to children of Railway servants studying in Matriculation or Higher Classes in Railway/non-Railway schools;

(iii) To begin with, coaching may be imparted in the subjects prescribed for the non-technical popular categories examinations conducted by Railway Recruitment Boards;

(iv) A reasonable minimum amount may be levied as tuition fee on students attending coaching classes with a view to restricting admissions to needy and aspiring students only;

(v) Railway servants who have the experience and expertise in teaching and possess wide knowledge and conversant with the prescribed subjects and type of questions being asked in the examinations conducted by Railway Recruitment Boards be engaged and paid suitable amount of honorarium from the amounts collected vide (iv) above and from the Staff Benefit Fund, as may be determined by the Railway Administrations in consultation with their FA & CAO;

(vi) Details relating to coaching schemes may be worked out by the Chief Personnel Officer in consultation with FA & CAO and implemented at a few selected centres e.g. Zonal/Divisional Railway Hqrs. on an experimental basis. However, above course of action may be introduced in one High/Hr. Sec. School/Inter College in each Division immediately.

*(Railway Board's letter No. E(W)83/SC2/24 dated 28.4.87)*

4.8 Training in Arts and Crafts may be introduced in Railway Higher Secondary, High and Middle Schools as a hobby, wherever possible. In case this involves incurrence of additional expenditure, proposals should be sent to the Ministry of Railways with the concurrence of the FA & CAO.

*(Railway Board's letter No. E(W)61/SC-2/50 dated 5.9.61)*

4.9 Railway Schools do not constitute 'industry'. Hence, the same should be outside the scope of the existing Trade Unions on Railways. However, there should be no objection to the Teachers forming associations of their own.

*(Railway Board's letter No. E(LWA)65AT/ID/I-6 dated 4.1.66)*

4.10 Railway School Teachers in their individual capacity may be permitted to place their grievances before the senior DPOs/SPOs who are normally the functionaries responsible to oversee the smooth functioning of the schools in their capacities as President/Vice President of the School. The teachers in their individual capacities may be permitted to discuss their grievances with the officers in the Personnel Department responsible for the functioning of the Schools with prior appointment. The grievances of these teachers, whenever taken up in this manner, should be thoroughly examined by the Administration and action taken to redress the grievances within the framework of the Rules.

*(Railway Board's letter No. E(LR)82/UTP/2 dated 6.2.1984)*



## 5. Pay Scales of Teaching Staff

5.1 No separate posts of Asstt. Headmasters/Asst Head-mistresses/Vice Principals should be created. Where considered necessary, the senior most post-graduate teacher in scale Rs.6500-10500(RSRP) selection grade working in a Higher Secondary School/senior most graduate teacher in scale Rs.5500-9000(RSRP) working in a High School, should be put to work as Asstt. Headmaster/Asstt. Headmistress/ Vice Principal by reducing his/her teaching load.  
(Railway Board's letter No. E(W)62/SC-2/44 dt. 4.5.63 and, PC-V/98/I/11/26 dt. 23.10.1988)

5.2 However, in Higher Secondary Schools/Inter Colleges, with an enrolment of 1000 or more students, the senior most Post Graduate Teachers in scales of Rs.7500-12000 (RSRP)/Rs.8000-13500 (RSRP), as the case may be designated and utilised as Vice-Principals by reducing their teaching workload. If necessary, selected suitable Post Graduate Teachers may be shifted to locations where needed, if they are not readily available there.  
(Railway Board's letter No. E(W)83/SC2/18 dt. 28.11.88; and PC-V/98/I/11/26 dt. 23.10.98)

5.3 As regards 6<sup>th</sup> CPC Schedules regarding pay scale of teaching staff have been circulated by Board's letter No. PC VI/2008/I/RSRP/1 dated 22.09.2008 & 17.07.2009. The scales allotted to the teaching staff are as under:

Primary School Teacher*				
Selection Grade	6500-10500	PB-2	9300-34800	4800
Senior Grade	5500-9000	PB-2	9300-34800	4600
Basic Grade	4500-7000	PB-2	9300-34800	4200
Trained Graduate Teacher*				
Selection Grade <sup>#</sup>	7500-12000	PB-3	9300-34800	5400
Senior Grade	6500-10500	PB-2	9300-34800	4800
Basic Grade	5500-9000	PB-2	9300-34800	4600
Post Graduate Teachers*				
Selection Grade	8000-13500	PB-3	15600-39100	6600
Senior Grade	7500-12000	PB-3	15600-39100	5400
Basic Grade	6500-10500	PB-2	9300-34800	4800

\* i) These categories will retain their existing classification as Group 'C'

ii) Residency period will remain unchanged.

# modified vide letter dated 17.07.2009(RBE No. 131/09)

5.4 No specific recommendation have been made by 7<sup>th</sup> CPC in respect of Pay Scales of Teaching Staff of Railway schools, therefore, only replacement Pay Level in the Pay Matrix is applicable to Teaching Staff.

5.5 Each case of transfer of a Railway School to the State Government should be examined on merits. Where this can be done, the Railway Administrations may agree to license the school buildings on nominal license fee and give the furniture free of cost so as to make it attractive for the State Govt. to take over the school. In any case, approval of the Railway Board may be obtained before any Railway School is handed over to the State Government.

(Railway Board's letter No. E(W)61/EDI/6 dated 17.3.1962)

5.6 The main objective of conducting inspections in Railway Schools is to streamline their day-to-day administration and effect necessary, improvements in educational standards. Vigorous follow-up action should be taken on Inspection Reports submitted by Inspecting Officers and whenever deficiencies have been pointed out these should be speedily rectified.

The Chief Personnel Officers should take personal interest and ensure that necessary improvements, where called for, are effected with a view to improve the standard of Railway Schools. It should also be ensured that Railway Schools are regularly inspected by the State Govt. Inspectors and their recommendations implemented to the extent possible. In this connection, attention is also invited to the recommendations of Educational Advisers which were sent along with Board's letter No. E(W)58/ED1/9 dated 21.9.1959.

*(Railway Board's letter No. E(W)65/SC2/54 dated 15.2.1966)*

5.7 Any changes in the pattern of classes in Railway Schools such as addition or abolition of classes, upgradation or downgradation of schools etc. should be reported to Board for information together with the reasons necessitating such changes.

*(Railway Board's letter No. E(W)66/SC-2/8 Pt. dated 31.10.66)*

5.8 Concessions to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe Communities in the matter of admission to the Railway Schools including Oak Grove School at Jharipani:

5.9 (1) It has been decided by the Railway Board that the following concessions should be allowed to the students belonging to the Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities in the admission to the Railway schools:

- (a) A distinct reservation of 15% for SC and 7.5% for ST candidates.
- (b) Where admissions are made with reference to percentage of marks obtained, 1 % reduction in marks may be allowed in the case of SC and ST candidates provided the lower percentage does not fall below the minimum marks required to pass the qualifying examination;
- (c) The upper age limit for SCs/STs may be raised by three years;
- (d) No child/ward of a member of staff belonging to SC/ST community should be refused admission in Primary classes;
- (e) In other classes, admission should not normally be refused up to the extent of the quota exclusive of any who secures admission on merits.

(2) To ensure that the concessions in the matter of admission as referred to above are actually available to the SC and ST communities, the Railway administration should maintain the following data:

- (i) No. of candidates seeking admission each year;
  - (a) No. out of these are children and wards of Railway servants separately for SC, ST and other communities;
  - (b) Outsiders, separately for SC, ST and other communities.
- (ii) Number refused admission in the same details as in (i) above;
- (iii) Reasons for refusal of admission in the case of SC and ST candidates;
  - (a) Where they are children and wards;
  - (b) Where they are outsiders.

(3) Reservation for physically handicapped candidates - 3% of seats are reserved for Physically Handicapped children.

## **6. Working Hours and Holidays**

6.1 It has been decided to fix uniform number of vacations/holidays for Railway school teachers (including Lecturers/Junior Lecturers in Railway Inter-colleges wherever existing) over all Indian Railways in the manner as stated below:

- (i) Railway schools shall function for 6 hours and 10 minutes duration in a day (total 370 minutes) which shall include assembly/prayer time of 20 minutes at the start in the morning, a recess break of 30 minutes and a total of 8 periods of 40 minutes duration each, distributed evenly before and after the recess.
- (ii) Number of vacations/holidays admissible to Railway school teachers during the academic session shall be as below:
  - (a) Summer vacations 50 days (starting from a date between 11<sup>th</sup> & 15<sup>th</sup> May)
  - (b) Autumn break/ Dussehra holidays 10 days (as per festival calendar)
  - (c) Winter break 13 days (starting from 23<sup>rd</sup>-24<sup>th</sup> December)

The above is the normal schedule of vacations and Zonal Railways are at liberty to distribute these vacations as per local festival/customary requirements or climatic conditions but keeping the total to 73 vacations in a year. Oak Grove School, Jharipani, Mussoorie (Northern railway) may observe longer winter vacations within the number of vacations prescribed.

- (iii) 14 compulsory holidays including 3 national holidays to be observed as per calendar circulated by Railway Board every year.
- (iv) 5 additional holidays from the list of optional holidays/restricted holidays as circulated by Railway board every year at the discretion of Zonal Railways.
- (v) Every Sunday shall be weekly off and every 2<sup>nd</sup> Saturday of the month shall also be a non-working day in Railway schools.
- (vi) No separate holiday shall be admissible for Annual Day and Sports Day in Railway schools and these days may be observed by suitable adjustments or compensation.

6.2 Leave entitlements of vacation staff including teachers are regulated in terms of Liberalized Leave Rules as amended from time to time.

6.3 The aforesaid schedule of working/vacations/holidays may be implemented in all Railway schools from the academic session 2013-14 and compliance reported to Railway Board. *(Railway Board's letter No. E(W)2011/SC-2/4 dated 14.08.2013)*

6.4 In partial modification of aforesaid letter, it has been decided that minimum number of working hours per week for Railway school teacher shall be 45 teaching hours including preparation hours. Modification in working hours for Railway school teachers has been made in line with provisions of RTE Act, 2009.

*(Railway Board's letter No. E(W)2011/SC-2/24 dated 10.11.2014)*

## **7. Annual Report**

All Railway Units are required to furnish relevant details in the prescribed proforma (Annexure-I to Annexure-VI) given at the end of this Circular to the Board positively by 31<sup>st</sup> July every year.

## **8. Kendriya Vidyalayas**

8.1 In Railway areas where there is a concentration of Railway servants and the educational facilities made available by the State/Central Govt. and Local/Private Agencies are found absent or inadequate to meet the needs of the children/wards of Railway servants, the Ministry of Railways have decided, as a matter of policy, to get Kendriya Vidyalayas established preferably

in 'Civil Sector' in Railway colonies which will, while meeting the needs of the employees, reduce our financial burden on the administration of the schools.

8.2 Kendriya Vidyalayas are to be opened only at Zonal/Divisional HQs, major workshops and other Railway establishments where there is a large concentration of Railway servants, or say, at least one thousand, with inter-state transferable liabilities and when the existing facilities are found inadequate or such facilities are non-existent, to meet the needs of the children of Railway servants.

8.3 Such schools will normally be opened only in 'Civil Sector'.

8.4 Pursuant to the Budget announcement in the year 2010, a Memorandum of Understanding (MOU) was signed between the Ministry of Railways and Ministry of HRD for starting of 50 new KVs on Railway land. Based on the sanction by the Govt of India (Ministry of HRD/KVS), a proposal from the concerned Zonal Railway approved by GM, PFA & PCE is received. On this proposal, approval of the Board (MS) is communicated to the concerned Zonal Railways for taking further necessary action in coordination with the local KVS authorities for opening of the Kendriya Vidyalaya sanctioned.

8.5 Railways should make available the physical facilities in conformity with the prescribed terms of Kendriya Vidyalaya Sangathan as indicated below:

- (i) Fully developed land (normally ranging between 10 -15 acres lesser areas in case of metropolitan cities only, on lease basis);
- (ii) Temporary accommodation on nominal license fee for the school (initially a minimum of 6-7 classrooms - one room each for classes I to V, one room for the Principal and one for the staff-with requisite basic facilities) and additional classrooms with the progressive growth of the school till such time the Sangathan constructs its own school building;
- (iii) Residential accommodation to 50% of the staff viz., residential accommodation for Principal (Type-IV), 3 to 4 Type-III / II type quarters for teaching staff and one Type-I quarters for Class IV staff on temporary basis on payment of normal license fees, as applicable to Railway servants till such time the Kendriya Vidyalaya Sangathan undertakes construction of staff quarters.

8.6 After opening of Kendriya Vidyalayas in Railway colonies, information in this regard should be furnished to the Railway Board immediately.

8.7 The following priorities have been laid down by the Government of India in Kendriya Vidyalayas Civil Sector for admission and no deviation from the same can be made:

- (i) Children of transferable Central Govt. servants including Defence/CRFS/BSF Personnel in uniform employees of All India Services and Indian Foreign Service;
- (ii) Children of transferable employees of Autonomous Bodies and Public Sector Undertakings fully financed by Central Govt;
- (iii) Children of non-transferable Central Govt. servants and Defence Personnel;
- (iv) Children of other floating population which includes civilian population desirous of joining the pattern of studies adopted in the Kendriya Vidyalayas.
- (v) 10 seats in each section of Class-I and 10 seats in all other classes put together

will be reserved every year for children on wards of employees of sponsoring agencies in Civil Sector Kendriya Vidyalayas. These seats will be over and above the admission sought in normal course.

*(Railway Board's letter No. E(W)99/SC-2/18 dated 26.9.1999)*

8.8 On opening of Kendriya Vidyalayas, the Railway Administrations should take steps to close down Austerity Type Primary/Primary Schools etc. if any already functioning at the stations.

*(Railway Boards letter No. E(W)81/SC-2/91 Pt.I dt. 18.10.88)*

8.9 Power to General Managers for long term leasing of Railway land: Board have decided to delegate powers to General Managers for leasing of Railway land measuring up to 15 acres to Kendriya Vidyalaya Sangathan (4 acres for Metropolitan Cities, 8 acres for Hilly Areas & Urban areas and 10 acres for Semi-urban/Rural areas) for opening of Kendriya Vidyalayas @ Re.1/- per annum for 99 years lease after grant of administrative approval for opening of Kendriya Vidyalayas by Board (MS).

*(Railway Board's letter No. 2013/LML/21/17 dated 15.07.2016)*

## **9. Kendriya Vidyalayas in Project Sector**

Opening of Kendriya Vidyalayas in Project Sector would involve financial burden on Railways as both recurring and non-recurring expenditure have to be met by us. Hundred percent residential accommodation is also to be provided to KVS staff.

*(Railway Board's letter No. E(W)81/SC-2/91 dated 2.1.85)*

## **10. Construction of Kendriya Vidyalaya Buildings**

Kendriya Vidyalaya buildings and staff quarters are to be constructed by Railways on "Deposit Work" terms basis. The guidelines for preparation of estimate and execution of such works are as under:

(i) The school buildings to be constructed should conform to Sangathan's specification for 'B' type buildings with an overall floor area of 2752 sqm keeping the overall cost within Rs.1 Crore. This will not include staff quarters and fencing/boundary wall, etc. but will include internal electrification, water supply, drainage etc. A copy of specifications and a sample sketch are enclosed for your kind information.

(ii) The Sangathan has also desired that in the first instance, only 11 staff quarters may be provided as under:

Type	I	-	2Nos.
Type	II	-	4Nos.
Type	III	-	4Nos.
Type	IV	-	1No

These may be provided as per Railway's own design and estimates, but a separate estimate should be submitted to the Kendriya Vidyalaya Sangathan for sanction. The cost of staff quarters too is to be borne by the Sangathan;

(iii) The school premises may be provided with cheaper type of boundary walls/wire fencing at an approximate cost of Rs.5 lakhs. Provision of ancillary items like road, general development charges, lighting of the premises, boundary walls/ wire

fencing etc. outside the building may be included in this estimate and submitted to Sangathan separately for sanction.

- (iv) Regarding service charges for water supply, electricity, etc. possibility of giving connection from the existing Railway network may be explored and such services may be charged on the basis of metered supplies by executing a sub-agreement along with the main agreement for such items with the Kendriya Vidyalaya Sangathan and these charges will be paid by Vidyalayas. Tubewells/overhead tanks, therefore, may not be provided in such estimates for the time being.
- (v) Departmental Charges:- The Board have agreed as a special case, in order to attract the Kendriya Vidyalaya Sangathan in the Railway colonies, to waive off the departmental charges of 12.5% on the construction of Kendriya Vidyalayas complexes in Railway colonies. However, loading/unloading and freight charges as provided in the Railway Codes should be levied only in respect of stores which are supplied by the Railways. Similarly, work charged establishments as per requirements may be worked out and put in the estimates, the intention being that Railways should charge only reasonable charges for execution of such works. The Kendriya Vidyalaya Sangathan has been advised to contact directly the Zonal Headquarters for preparation of estimates and all possible help may be given to them. *(Railway Board's letter No.86/W2/8/14 dated 21.1.1987)*

## **11. Construction of Kendriya Vidyalaya Building in Railway Colonies**

This section will be governed by the provisions stipulated in the instructions issued by the concerned Directorate.

## **12. Non-Railway Schools in Railway Colonies**

Education being primarily a State subject, privately managed schools functioning in Railway colonies should not ordinarily be taken over by Railway Administrations.

12.1 Wherever the need for additional school is felt by Railway staff, such schools should as far as possible be organised and managed by Railwaymen themselves and for this purpose Railway Administrations may render suitable assistance to the managements. The nature of assistance to such schools may be as under:

### **(i) Non-recurring expenditure:**

(a) In respect of such schools as have been functioning satisfactorily and are fairly well established, any proposal to expand the existing school buildings or constructing new ones, the agencies may be asked to raise some portion of the sum required for the purpose, so that they may have a financial stake in the venture, financial assistance from the Railway being in the nature of subsidy. Railway land and buildings where it can be spared, may be leased on nominal license fees. No compensation will be payable for any structure erected by the licensee on the land if the Railway terminates the license.

(b) Furniture and equipment may also be purchased from Railway Revenues and donated to the privately managed schools run by the Railwaymen. The expenditure to be incurred may be equal to the amount proposed to be spent by the school for this purpose subject to the condition that it does not exceed 50%, the amount that would have been spent by the Railway if the school had been a Railway school.

*(Rly. Board's letter No. E(W)61ED2-24 dt.20.12.1961)*

(ii) Recurring expenditure:

Some of the privately managed schools functioning in Railway colonies were unable to balance their budget and to run without grant-in-aid from Railway revenues. As closure of such school was likely to affect adversely the education of the children/wards of Railway servants, the General managers are authorised to sanction recurring ad hoc grant on the basis of average loss per child (including the children/wards of Railway servants) or the amount at the rate of Rs.8, Rs.12 and Rs.16 per child per month respectively for Primary/Middle /High & Higher Secondary Classes which-ever is less.  
*(Railway Board's letter No. E(W)98ED2-9 dated 4.12.1998)*

12.2 For non-recurring/recurring grants from Railway revenues, the privately managed school should fulfill the following conditions:-

- (i) To qualify for a grant, a school must have at least 1/3 of its pupils or 100 pupils, whichever is less from amongst children and wards of Railway servants;
- (ii) The school should be one that is fully recognised for all purposes by the State Government concerned in accordance with their Education Code and should be in receipt of the full grant-in-aid as admissible under the Education Code;
- (iii) A grant has to be sanctioned only to such schools as are not able to balance their budget;
- (iv) The amount of grant-in aid may be fixed on a ad hoc manner but should, in no circumstances exceed the amount due on the basis of average "loss" per child (including both children of Railway servants and their wards) nor should it exceed Rs. 8, Rs. 12 and Rs. 16 per pupil per month respectively for Primary, Middle and High/Higher Secondary classes;
- (v) The sanction should be on an annual basis and no element of non-recurring cost should be allowed.

12.3 Railway Board's prior approval for giving financial assistance to privately managed schools should be obtained in all cases except those, covered by Board's letter dated 17.10.56. The grant in aid to privately managed schools shall be subject to the fulfillment of following conditions:-

- (i) The Railway administration should be represented on the Managing Committee of each school run by Railwaymen and as far as possible, a Railway official should be the Chairman of the Managing Committee, subject to the rules, if any, form by the Education Department of the State Government in this regard,
- (ii) In sanctioning the grants the Railway administrations should indicate to the school authorities the conditions stipulated in para 2071-GI for conducting checks as and when necessary.
- (iii) These schools should be regularly visited/inspected by the Education Officer/Railway officials on the same lines as the Railway managed schools and be shortcomings reported by these officials should be brought to the notice of the Managing Committee of the schools so that these could be removed. In the event of the Managing Committee not being amenable to the advice of the Railway Administration in the affairs of the school, it shall be open to the Administration to withhold temporarily or permanently all subsidies, grants and aids.

*(Railway Board's letter No. E(W)61/ED-2/24 dated 20.12.1961)*

### 13. Improvement in Railway Schools

With a view to improve the facilities and the standard of education in Railway schools, a One Man Committee was set up in 1986 under the Chairmanship of Shri Avtar Singh Rikhi. The Committee's recommendation on various aspects of education in Railway schools were considered by the Board and adopted, wherever feasible. A summary of the recommendations and the decisions of the Board are contained in the Annexure to the Board's letter No. E(W)87/ED-1/5 dated 17.8.1987. Apart from these measures, the following decisions have also been taken by the Board to improve the functioning of Railway schools:

- (i) Implementation of "Operation Black Board" Scheme launched by the Deptt. Of Education in all the Primary and Austerity Type Primary (ATP) Schools on the Railways. This involves provision of certain basic minimum facilities in these schools.  
(Board's letter No. E(W)87/ED-1/5 Pt.III dated 12.1.88, D.O. letter No. E(W)88/ED-1/12/Vol.I dated 5.7.89)
- (ii) With a view to enable the schools to have assured funds for planning and augmenting the libraries, the following amounts should be earmarked at the beginning of the financial year for school libraries:-

Type of Schools	Rs. p.a. per school
(a) ATP Schools:-	
• Schools with strength of students over 50 but less than 100	1,000
• Schools with strength of students over 100 but less than 200	1,250
• Schools with strength of students over 200	1,500
(b) Primary Schools	3,000
(c) Middle Schools	5,000
(d) High Schools	10,000
(e) Higher Secondary Schools/Inter Colleges	15,000

(Board's letter No. E(W)98ED2-10 dated 7.6.1999)

- (iii) In respect of schools which do not have a separate post of Librarian, the Library should be maintained by a suitable teacher, who may be granted extra work allowance at a uniform rate of 2% (two per cent) of the basic pay per month.  
(Board's letter No. E(W)88/ED1-9 dated 12.10.1988, E(P&A)/2017/SP-1/Genl-6 dated 27.12.2017)
- (iv) Detailed guidelines exist for strengthening the school libraries by stocking them with the relevant Text-Books, reference books newspapers/magazine etc. and for making them effective in creating awareness and interest among the students.  
(Board's letter No. E(W)88ED1-9 dated 5.7.88, 8.7.88, 17.8.89, 14.2.90, 12.3.90)
- (v) It has been decided that the in service training programme of Railway school teachers may be managed by Zonal Railway themselves with the help of National Council of Education Research and Training and its Regional Institute of Education at Ajmer, Bhopal, Bhubaneshwar, Mysore as well as Regional Inservice Training and Extension Centre, Bangalore and North East Regional Institute of Education, Shillong and State Councils of Educational Research and Training. The Kendriya Vidyalaya Sangathan and other institute of repute may also be approached. The Railways may also think of cultivating a cadre of resource persons by sending young and capable PGTs for Resource Persons Training who in turn can train the TGTs etc in the Railway schools, which will



in the long run obviate the need to approach the Training Centers outside Railways. The Zonal Railway have also been authorised to incur expenditure and make payments for arranging training.

*(D.O. letter No. E(W)97ED2-97 dated 21.8.98 and 9.11.99)*

- (vi) Detailed guidelines have also been issued on various aspects of education in Railway schools like academic results, training of teachers, school environment, student-teacher ratio etc.
- (vii) General Managers may depute teachers to In-service training in NCERT, Regional Institute of Education and SCERT etc.  
*(D.O. letter No. E(W)89ED1-11 dt. 20.11.89 and letter No. E(W)97/ED-2/9 dt. 9.11.99)*
- (viii) Detailed guidelines have been issued to effect improvement in Railway schools by way of repair buildings, institutional support, ensuring recognition by the State Education Departments, spreading the awareness for aesthetic surroundings and horticulture activities. Stress has also been laid on regular inspections of Railway schools by GM, DRM and the Committee of DPO, DEN and DAO. The advisability of closure of uneconomical ATP schools on Railways and securing Grants-in-aid for Railway schools from State Governments has also been highlighted.  
*(D.O. No. E(W)98ED2-7 dated 18.2.99 and letter dated 17.5.99)*
- (ix) With a view to improve quality of education in Railway Schools the following instructions/measures/steps have been taken for (a) engagement of school teachers on contract basis in Railway Schools (b) reduction of time period between two successive part-time appointments of contractual teachers (c) enhancement of consolidated monthly remuneration being paid to contractually appointed Railway school teachers.
- (x) Engagement of school teachers on contract basis:

- (a) Engagement of part time teachers appointed on contract basis against short terms vacancies to improve the overall performance of Railway schools in line with Kendriya Vidyalaya.

*(Railway Board's letter No. E(W)2007/SC-2/7 dated 02.11.2007).*

- (b) Ministry of Railways has revised monthly consolidated remuneration being paid to contract teachers in line with consolidated amount paid to such teachers by Kendriya Vidyalaya Sangthan vide letter no. 11029/39/2011/KVS(HQ)Acad dated 21.03.2013. The honorarium is as under:

<b>Designation</b>	<b>Consolidated monthly Pay (in Rupees)</b>
PGT all subjects	27,500/-
TGT all subjects	26,250/-
PRT	21,250/-

*(Railway Board's letter No. E(W)2007/SC-2/7 dated 30.07.2014).*

- (c) Time gap prescribed between two successive contractual appointments of contract teachers for Railway Schools may be reduced from (60) days to one week (07 days) excluding the period of normal vacation, as prescribed in schools calendar. Instead of renewing previous contract, a fresh contract should be signed each time a contract is entered in order to avoid claim of continuous employment/engagement and no reference of the previous contract should be made at the time of signing the new contract. Moreover, in the contract there should be a clear stipulation that they

would not have any claim or right of regularization just because they have been engaged on contract basis in view of Supreme Court (Constitutional Bench) Judgment dated 10.04.2006 in Civil Appeal No. 3595-3612/1999 etc. in the case of Secretary, State of Karnataka and Ors vs. Uma Devi and Ors as circulated vide Railway Board's letter no. E(LL)2006/AT/NRE/1 dated 23.06.2006.  
(Railway Board's letter No. E(W)2007/SC-2/7 dated 24.04.2018).

- (xi) About 99 Railway schools including austerity type school, primary, Junior, Higher Secondary and one Degree College are being run by Indian Railway. To improve the quality of education in these schools/colleges, Board (MS) had written a DO letter to GMs of All Indian Railways regarding steps to improve the quality of education in these schools.

(D.O. E(W)2016/SC-2/39 dated 17.01.2017)

#### 14. Scheme of Annual Awards

With a view to improve the quality of education in Railway Schools by generating a spirit of competition amongst Railway Schools and providing incentives to the Principals/Headmasters/Teachers/Students for achieving excellence, a scheme of annual awards from the academic year 1999-2000 has been introduced as per following details:-

	<b>Award</b>	<b>Zonal Level</b>	<b>Railway Board Level</b>
(i)	Best Teacher	Rs.4000/-	Rs.5000/-
(ii)	Best Student	Rs.3000/-	Rs.4000/-
(iii)	Principal/Head Master of Best School	Rs.4500/-	Rs. 5000/-
(iv)	Best School	Running Shield	Running Shield

##### 14.1 Criterion for selection will be:

- Best Teacher - Effectiveness of teaching, dedication to work, leadership qualities for inspiring students and promotion of extra curricular activities.
- Best Students - On the basis of marks obtained in Public Examination.
- Best School - Academic performance reflected through pass percentage, distinctions, 1st divisions in Public Exams and local exams (Weightage 50% ), achievement in games and sports (20%), literary and cultural activities (20%), Scouts and guides (10%)
- Best Principal/ Headmaster - Incumbent of School adjudged best

From amongst the Best Teacher/Student/School/Principal/headmasters by the individual Railway Units, Railway Board will select the best for award at Board's level. The awards will be given during Railway Week Celebrations.


(Railway Board's letter No. E(W)99/ED-2/l. dated 24.3.2000)

15. Though all efforts have been taken to include all the relevant circulars on the subject, if any circular that has not been superseded happens to be omitted, the circular which has been omitted through over-sight will still hold the field. Anyone coming across such circular may bring it to the notice of the Railway Board for suitable action for issuing a supplementary circular.

15.1 The consolidation made in the Master Circular should be construed only as a key to the original circular and not a substitution. In case of any doubt, the original circular(s) referred to in the Master circular will be relied upon as authority.

15.2 It should be noted that orders/instruction issued under the various circulars have only prospective effect from the date of issue of the relevant original letter (s), unless specifically stated otherwise in the concerned letter. Hence, for dealing with old cases, the instructions in force at the relevant time have to be referred.

16. Please acknowledge receipt.



(Rajni Makkar)  
Director/Estt.(Welfare)  
Railway Board

## Details of Railway Schools

S.No.		Degree College	Inter College/Hr.Sec. School	High Schools	Middle Schools	Primary Schools	ATP Schools	Total
1.	Number of Railway Schools							
2.	No. of Railway Wards							
	No. of Non-Rly. wards							
	No. of SC wards							
	No. of ST wards							
3.	Principal/Hd. Master							
	PGTs							
	TGTs							
	Assistant/Primary School Teachers							
	Contract Teachers							
4.	Non-Teaching staff							
5.	Annual Expenditure							
	Recurring (Rs.)							
	Non-recurring (Rs.)							

**Annexure-II**

**Teaching and Non-Teaching Staff in Railway Schools**

S.No.	Name Location Railway Schools	& Type of school/ Boys/Girls/ Mixed	State	Classes	Medium of instruction	No. of Students studying in school				Sanctioned strength of as on 31.03.2019	Affiliated to DBSE/State Education Board
						Railway wards	Non- Rly wards	SC wards	ST wards	Teaching Staff	Non- Teaching Staff

**Annexure-III**

**Details of Educational Assistance, Tuition Fee and Hostel Subsidy**

Item Expenditure (Rs)	No. of children in respect of whom given	No. of Railway servants of whom given	Total Amount Paid (Rs.)	Percentage/Increase/Decrease over the last year amount	Reason for Increase/Decrease
Tuition Fees					
Children Education Allowance					
Hostel Subsidy					

### Kendriya Vidyalayas (KV's) functioning on Railways

Annexure-IV

S. No.	Place of Kendriya Vidyalaya	Year of opening	Classes		No. of Students		No. of Teachers	Expenditure incurred from Revenues (in project sector school only (Rs.))		Permanent/Temporary
			From	To	Railway wards	Non-Rly wards		Recurring	Non-Recurring	

### Subsidised Hostels

Annexure-V

Name of the Subsidised Hostel	Year of opening	Capacity	Occupant studying in classes			Total (4+5+6)	Income (Rs)	Total Net expenditure incurred (Rs)		No. of Children residing on payment of	Full rate
			School	College	Technical Course			Recurring	Non-Recurring		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

### Fee Structure in Railway Schools

Annexure-VI

Name of school	Location	Fee Structure – Class wise (Rs.)			
		I-V	VI-VIII	IX-X	XI-XII